Sixteenth Lok Sabha
X Session (16/11/2016 to 16/12/2016)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 नवम्बर, 2016/25 कार्तिक, 1938 (शक)

संख्या 177

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा की वर्तमान सदस्य श्रीमती रेणुका सिन्हा; श्रीमती वी॰ जयलक्ष्मी, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य; श्री आरिफ बेग, छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य; श्री पी॰ कन्नन, छठी और आठवीं लोक सभा के सदस्य; श्री हर्षवर्धन, नौवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य; श्रीमती जयवंती मेहता, नौवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा की सदस्य; श्रीमती उषा वर्मा, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा की सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया—

(एक) इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति श्री शिमोन पेरेज के 28 सितम्बर, 2016 को हुए निधन।

(दो) थाईलैंड के सम्राट, भूमिबोल अदुल्यदेज के 13 अक्तूबर, 2016 को हुए निधन।

(तीन) महान विद्वान, संत और सुधारक तथा स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रधान प्रमुख स्वामी शास्त्री नारायण स्वरूप दास के 13 अगस्त, 2016 को हुए निधन।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और उसके पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

3. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1-20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1-230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 17 *नवम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3084LS(S3)—16-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 17 नवम्बर, 2016/26 कार्तिक, 1938 (शक)

संख्या 178

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किया—

(एक) जम्मू-कश्मीर के उरी में 18 सितम्बर, 2016 को हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में 19 सैनिकों की शहादत।

(दो) छठ पूजा के दौरान पूरे बिहार में घटित अलग-अलग घटनाओं में 50 व्यक्तियों की मृत्यु।

(तीन) हैती में 4 अक्तूबर, 2016 को समुद्री तूफान मैथ्यू द्वारा मची तबाही में जानमाल की भारी क्षति।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21—25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 26—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री तारिक हमीद कर्रा ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और यह कि उन्होंने 17 अक्तूबर, 2016 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त, 2016 को प्रख्यापित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) चौथा अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 7) की एक प्रति।

(4) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत पोत परिवहन (सागरगामी वास-सुविधा) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 824 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड तथा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप, बजट और वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2016 जो 16 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 797 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

(I) महासचिव ने 16वीं लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों को सभा पटल पर रखा, क्योंकि विगत प्रतिवेदन 19 जुलाई, 2016 को सभा को प्रस्तुत किया गया था:—

1. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2016;
2. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016;
3. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2016;
4. संविधान (101वां संशोधन) विधेयक, 2016; और
5. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

(II) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों को राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित प्रतियों को भी सभा पटल पर रखा:—

1. प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016;
2. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016;
3. प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016;
4. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016;
5. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016;
6. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016;
7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016;
8. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2016;
9. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा अन्य प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016; और
10. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

7. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का की–गई–कार्रवाई विवरण

डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरै ने जानवरों की एम्बुलेंस की खरीद और एक ही गांव/स्थानीय क्षेत्र में एक से अधिक सामुदायिक केन्द्रों के विनिर्माण के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मार्गनिर्देशों में उपांतरणों हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के की–गई–कार्रवाई संबंधी अंतिम उत्तरों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के बारे में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव — समय का बढ़ाया जाना

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के बारे में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के बजट सत्र (2017) के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.31 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 12.31 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कल्याणी में कोल हैंडलिंग प्लांट पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ उदित राज द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सीवान में महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान को समझौते के अनुरूप यमुना नदी जल का आबंटित हिस्सा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पटना में समुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली हेतु एक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखण्ड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस एवं मेल रेलगाड़ियों का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में समुद्र पत्तनों पर समुद्री आप्रवासन चौकियां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा चित्रकूट में रामायण पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने और रामायण विरासत परिसर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी द्वारा देश में पुलिस सुधारों की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय अथवा सैनिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर गड़चिरौली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर एक अंडरपास तथा वहां पर स्थित टोल टैक्स बूथ पर सर्विस लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कुट्टानाड में वैकवाटर्स का संरक्षण और परिरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा सी॰आर॰जेड॰ मानदण्डों के द्वारा निर्माण कार्यकलापों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन द्वारा कावेरी जल विवाद का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती वी॰ सत्यबामा द्वारा तमिलनाडु के तिरुपुर में अपशिष्ट उपचार संयंत्रों एवं अवसंरचनात्मक विकास सुविधाओं हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.35 बजे

(व्यवधानों के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 18 *नवम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3125LS(S3)—17-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 18 नवम्बर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक)

संख्या 179

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से निम्नलिखित को बधाई दी—

(एक) ब्राजील के रियो डि जनेरियो में 5 से 21 अगस्त, 2016 तक हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पी॰वी॰ सिंधु को रजत पदक तथा साक्षी मलिक को कांस्य पदक जीतने के लिए।

(दो) ब्राजील के रियो डि जनेरिया में 7 से 18 सितम्बर, 2016 तक हुए ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में मरियप्पन थंगवेलु और देवेन्द्र झाझरिया को स्वर्ण पदक जीतने; दीपा मलिक को रजत पदक जीतने और वरूण सिंह भाटी को कांस्य पदक जीतने के लिए।

(तीन) भारतीय कबड्डी टीम को 22 अक्तूबर, 2016 को अहमदाबाद में कबड्डी विश्व कप, 2016 के फाइनल में ईरान को हराकर कप जीतने के लिए।

(चार) पुरुष हाकी टीम को 23 अक्तूबर, 2016 को मलेशिया के क्वांटन में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशियाई चैम्पियन्स ट्रॉफी जीतने के लिए।

(पांच) महिला हाकी टीम को 5 नवम्बर, 2016 को सिंगापुर में चीन को हराकर एशियाई चैम्पियन्स ट्रॉफी जीतने के लिए।

(छह) 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम को इटली के एंड्रिया में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाने के लिए।

(सात) इसरो के वैज्ञानिकों को 28 अगस्त, 2016 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केन्द्र में 2 स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजनों के सफल परीक्षण तथा 8 सितम्बर, 2016 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी एफ 05 से इनसेट 3 डीआर नामक उन्नत मौसम उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधानों के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, आपको स्मरण होगा कि 25 जुलाई, 2016 को मैंने श्री भगवंत मान, संसद सदस्य जिन्होंने संसद भवन परिसर की वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया वेबसाइट पर संवेदनशील फुटेज पोस्ट किया था, के असंगत व्यवहार की जांच करने के लिए 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक समय विस्तार दिया गया है।

तत्पश्चात् मुझे जांच समिति के माननीय सभापति से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह के और समय विस्तार का निवेदन किया है।

अनुरोध में लिखे गए आधारों और कारणों पर उचित विचार करने के पश्चात्, मैंने समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 19 नवम्बर, 2016 से प्रभावी दो और सप्ताह के समय विस्तार के लिए अनुरोध को सहमति प्रदान की है।

जैसा कि मैंने पहले भी पाया है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्री भगवंत मान, संसद सदस्य को आगे सभा की बैठक में तब तक उपस्थित नहीं होने की सलाह दी जाती है जब तक कि इस मामले में निर्णय नहीं ले लिया जाता।''

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पालिसियों का जारी किया जाना) विनियम, 2016 जो 15 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/16/128/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (आठवां संशोधन) विनियम, 2016 जो 01 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/20/132/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2016 जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/15/127/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा कारबार का संव्यवहार करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का व्यय) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/12/124/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 जो 01 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/21/133/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकक की अर्हता) (निरसन) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/8/120/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/ 17/129/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सलाहकारी समिति) विनियम, 2016 जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआईआईएसी/रेग॰/ 19/131/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार की आस्तियां, देयताएं और शोधन-क्षमता की मात्रा) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/9/121/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/11/123/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार का संव्यवहार करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का व्यय) विनियम, 2016 जो 12 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/ 14/126/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार की आस्तियां, देयताएं और शोधन-क्षमता की मात्रा) विनियम, 2016 जो

09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/7/119/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण या अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016 जो 12 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/ 13/125/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/ 3/115/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/ 18/130/2016 जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमा की जाने वाली प्रत्येक सामान्य बीमा पालिसी पर बीमा की गई रकम के बाध्यकारी अध्यर्पण तथा उसके निबंधन और शर्तों के बारे में है।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 104/36/एसीसीटीएस-1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 922(अ) जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 855(अ) जो 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए/(5)/67/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 3015(अ) जो 21 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मई, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1634(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एण्ड पंचायती राज (एनआईआरडी एण्ड पीआर)' के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) 'प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)' के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(3) 'बीपीएल सर्वेक्षण अब सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011' के बारे में 16वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 21 नवम्बर, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

†अपराह्न 12.20 बजे

9. सदस्य द्वारा निवेदन

डॉ॰ जे॰ जयवर्धन ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों को हिरासत में लेने और उनका उत्पीड़न करने के बारे में निवेदन किया।

श्रीमती वी॰ सत्यबामा और श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार@ ने उत्तर दिया।

---

* ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 31 अगस्त, 2016 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

†अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.25 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@संसदीय कार्य मंत्री

अपराह्न 12.25 बजे

(व्यवधानों के कारण, लोक सभा सोमवार, 21 नवम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3179LS(S3)—18-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 नवम्बर, 2016/30 कार्तिक, 1938 (शक)

संख्या 180

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 20 नवम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप पोखरयान में इंदौर-पटना एक्सप्रेस रेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 129 व्यक्तियों की कथित रूप से मृत्यु होने और 200 से अधिक के घायल हो जाने का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62 और 65 के मौखिक उत्तर दिए गए।

वे सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 63 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 63 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 64 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 64 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.52 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.02 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 66—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से पी॰वी॰ सिंधु को चीन के फुझोऊ में 20 नवम्बर, 2016 को चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिन्टन टूर्नामेन्ट का महिला एकल खिताब जीतने के लिए बधाई दी।

अपराह्न 12.03 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्री ने 20.11.2016 को उत्तर मध्य रेवले के झांसी डिवीजन के पोखरयान और मलासा स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी सं॰ 19321 डाउन इंदौर-राजेन्द्र नगर टर्मिनल (पटना) एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2016 जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 884(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 जो 8 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) (एक) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाने के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाने के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चाय (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चाय बोर्ड (चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की शक्तियां) नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1008(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चाय बोर्ड (संशोधन) उप-विधियां, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1009(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चाय बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा सेवा की शर्तें) संशोधन उप-विधियां, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1010(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1011(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) चाय बोर्ड (अपलिखित हानियां) संशोधन नियम, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1012(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3317(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) चाय भांडागारण (अनुज्ञप्तिकरण) संशोधन आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3318(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3319(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) चाय अपशिष्ट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3320(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) डॉ॰ बी॰आर॰ अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ बी॰आर॰ अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (समूह क, समूह ख और समूह ग पद) भर्ती नियम, 2016 जो 13 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 686(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा (4) की उपधारा (4) और (5) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के

सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 18 नवंबर, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत हों''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(i) *सरोगेसी (विनियमन) विधेयक,* 2016

(ii) *नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक,* 2016

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.11 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा बगहा और पटना के मध्य वातानुकूल डिब्बों वाली नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने तथा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री गोपाल शेट्टी द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन चिह्न में राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन रोके जाने हेतु राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में ललित कला अकादमी का केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पचनदा बैराज परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने की एक समान आयु निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संचालित बैंकिंग कियोस्क केंद्रों पर सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा हिमालयी राज्यों में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता के बारे में।

9. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 76 और 86 को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. डॉ॰ नैपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग सं॰ 385वीं पर रेल उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा लेह, करगिल, लद्दाख, अंडमान और लक्षद्वीप स्थित विमान पत्तनों को क्षेत्रीय संपर्क योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में पैरा-अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किए जाने तथा उनका मानदेय भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा विद्यार्थियों के बस्तों का वजन कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा रेल पटरियों की मरम्मत, उनका निरीक्षण और अनुरक्षण समय से करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की आदिवासी कॉलोनियों में आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री वी॰ एलुमल्लाई द्वारा प्राथमिक सहकारी साख समितियों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को विमुद्रीकृत करंसी नोट स्वीकार करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री जे॰जे॰टी॰ नटर्जी द्वारा तमिलनाडु में थूथुकुडी रेलवे स्टेशन के स्तरोन्नयन और विस्तार के बारे में।

18. प्रो॰ सौगत राय द्वारा नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा मुम्बई के बोरीबली में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को अधिसूचित डिपो का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री एम॰ मुरली मोहन द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने को मंत्रिमंडल की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री पी॰के॰ बीजू द्वारा विमुद्रीकरण के कारण केरल में जिला सहकारी बैंकों तथा कृषि साख समितियों को हो रही समस्याओं के बारे में।

22. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी द्वारा तेलंगाना में आईटीसी पेपर मिल द्वारा कथित रूप से श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने के बारे में।

23. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा बिहार के भागलपुर में ईएसआईसी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

(*व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार,* 22 *नवम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3238LS(S3)—21-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 नवम्बर, 2016/1 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 181

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 82 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.21 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न संख्या 83—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विधिक माप-विज्ञान (सामान्य) संशोधन नियम, 2016 जो 9 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 875(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक माप-विज्ञान (पैकेजबंद सामग्री) (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 858(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 433(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (चेयरमैन की अर्हताएं तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 का निरसन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-1990 से 1991-1992 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-1990 से 1991-1992 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

*(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आसाम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत आसाम राइफल्स पैरा-मेडिकल स्टाफ (फार्मासिस्ट, समूह "ग" योद्धक पद) भर्ती नियम, 2016 जो 16 जुलाई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 125 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

*12.05 बजे

(एक) भारत–तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत–तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, पायनियर काडर समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत–तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत–तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालायाध्यक्ष) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2016–17 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) वर्ष 2016–17 के लिए राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) वर्ष 2016–17 के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) वर्ष 2016–17 के लिए ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 28) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)—अवसंरचना विकास में लगे हुए निर्धारितियों को मौका देना।

(दो) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 29)—संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र।

(9) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) ''भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका तथा कार्यकरण'' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(2) ''सीजीएचएस में एलोपैथिक दवाइयों की खरीद'' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्यांक 17 के पैरा 5.1 पर आधारित 'भारत संचार निगम लिमिटेड में भू-प्रबंधन' विषय पर 53वां प्रतिवेदन।

(4) ''रेल वित्त'' के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(5) ''भारतीय रेल में सिविल अभियांत्रिकी कार्यशालाएं, सोन नदी पर नए रेलवे पुल के निर्माण में विलंब और संकेत तथा दूरसंचार'' के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-गई-कार्यवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(6) ''मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की गैर-चयनित लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत किए जाने में अनुपालन'' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(7) ''जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)'' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(8) ''मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की गैर-चयनित लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत किए जाने में अनुपालन के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(9) ''भारतीय नौसेना युद्धपोतों का स्वेदेशी विनिर्माण'' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

5. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के दसवें, ग्यारहवें और बारहवें प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामसिंह राठवा ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 274वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 276वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 273वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 277वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 275वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 278वां प्रतिवेदन।

(4) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्यम विभाग) से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उपबंधों की समीक्षा के बारे में समिति के 272वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 279वां प्रतिवेदन।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार में ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर तथा राज्य के अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक स्थलों का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किए जाने तथा उनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे।

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा देश में गौ अभयारण्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 14 अक्तूबर, 2016 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालय नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

(3) श्री निहाल चन्द द्वारा राजस्थान को सतलुज नदी के जल का आबंटित हिस्सा प्रदान किए जाने तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान का एक सदस्य नामित किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कौशल किशोर द्वारा देश की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों की नियुक्ति किए जाने तथा उन्हें भारतीय दंत परिषद तथा राज्य दंत परिषदों के चुनावों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के मेहसाना शहर में रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विनिर्माण संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तथा अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राघव लखनपाल द्वारा सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(10) श्री डी॰ एस॰ राठौड़ द्वारा सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दैनिक यात्रियों का रेल किराया कम किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(11) कर्नल (से॰नि॰) सोनाराम चौधरी, वी॰ एस॰ एम॰ द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(12) प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा केरल के कोजिकोड़ जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर संस्थान स्थापित किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के करोली जिले में रेलवे समपार सं॰ 201 के समीप एक अंडरपास निर्माण किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(14) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(15) श्री भैरों प्रसाद मिश्रा द्वारा चित्रकूट धाम–कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ के॰ राघवन द्वारा केरल के कालीकट में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 66 और 766 पर भीड़भाड़ को कम करने की अवश्यकता के बारे में।

(17) श्री निनोंग इरिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार किए जाने के बारे में।

(18) श्री पी॰ नागराजन द्वारा मेत्तुपलायम और वायनाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 181 का चौड़ीकरण किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल और इरोड के बीच कावेरी रेलवे स्टेशन पर यरकौड एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(20) श्री सुल्तान अहमद द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में कथित धोखाधड़ी के बारे में।

(21) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आराम बाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(22) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा भारत में सस्ती कैंसर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(23) श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'प्रवर निलवंडे' परियोजना को सम्मिलित किए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त निधियों का आबंटन किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(24) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(25) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा सितंबर, 2016 के दौरान तेलांगाना में हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(26) श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा त्रिपुरा के शेष चार जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्थापित किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(27) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नकली बीजों की किस्मों तथा जंगली पशुओं के कारण फसलों को होने वाली हानि को सम्मिलित किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(28) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में बाढ़ के कारण जान-माल की हानि से पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु राज्य को पर्याप्त राहत निधियां जारी किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

(29) श्री राजू शेट्टी द्वारा मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण प्रदान किए जाने की अवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.15 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 23 *नवम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3265LS(S3)—22-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 23 नवम्बर, 2016/2 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 182

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.06 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

*मध्याह्न 12.19 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड तथा एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

---

*मध्याह्न 12.00 बजे से 12.18 बजे तक सदस्यों ने अध्यक्षपीठ की अनुमति से निवेदन किए।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) भू-संपदा (विनिमय और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1020(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चंडीगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1021(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दादरा और नगर हवेली भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1022(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दमन और दीव भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1023(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लक्षद्वीप भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1024(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भू-संपदा (विनियमन और विकास) (बिक्री अनुबंध) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) चंडीगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) (बिक्री अनुबंध) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1026(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दादरा और नगर हवेली भू-संपदा (विनियमन और विकास) (बिक्री अनुबंध) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1027(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) दमन और दीव भू-संपदा (विनियमन और विकास) (बिक्री अनुबंध) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1028(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) लक्षद्वीप भू-संपदा (विनियमन और विकास) (बिक्री अनुबंध) नियम, 2016 जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1029(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 91 की उपधारा (2) के अंतर्गत भू-संपदा (विनिमय और विकास) (बिक्री अनुबंध) कठिनाई निवारण आदेश, 2016 जो 28 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3347(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली शहरी कला आयोग (सचिव) भर्ती नियम, 2016, जो 14 मई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰आ॰ 66 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र, जो 23 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 177 में (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 38 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति (संशोधन) नियम, 2015, जो 2 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ ए॰12011/2/2015-स्थापना में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय सूचना आयोग, समूह 'ख' पद (सहायक और वैयक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 2016 जो 7 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 861(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय सूचना आयोग, समूह 'ख' पद (अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव) भर्ती नियम, 2016 जो 7 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 862(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय सूचना आयोग, समूह 'क' पद (अवर सचिव, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2016 जो 7 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 863(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) लेखा पृथक्करण रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016 जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 16-02/2015-एफएंडईए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतर्संयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स) (7वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 16 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 26-01/2015-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (10वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 301-7(2)/2015-एफएंडईए में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1998 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2016, जो 10 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 782 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र, जो 24 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 814(अ) में (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(12) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(14) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) राईट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राईट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भू-अर्जन (विशेष रेल परियोजनाएं) नियम, 2016 जो 24 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰आ॰ 631(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) मल्टी टास्किंग स्टाफ (गैर-तकनीकी) सेवा विनियम, 2016, जो 22 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एन-10/001(3)/2015-पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2012, जो 25 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/61/10/एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/61/10/एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लीनिक) संशोधन विनियम, 2014, जो 6 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/08/11/एनएएलएसए में प्रकाशित हुए थे।

(20) उपर्युक्त (19) की मद सं॰ (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016, जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2968(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2016, जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2969(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शरद त्रिपाठी ने 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और भारतीय डायस्पोरा की भूमिका सहित भारत की सद्भावपूर्ण कूटनीति' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भोला सिंह ने उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का कम्प्यूटरीकरण' के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 279वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4)* विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री की 11 से 12 नवम्बर, 2016 की जापान यात्रा के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.36 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला शामली में मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.23 बजे

(2) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री फिरोज़ वरुण गांधी द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा अजमेर-पुष्कर ट्रेन को राजस्थान में मेड़ता तक बढ़ाए जाने हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गणेश सिंह द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी फसलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री लखन लाल साहू द्वारा पी॰एे॰सी॰एल॰, पर्ल ग्रुप कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निवेशकों का धन लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रामचरण बोहरा द्वारा जयपुर, राजस्थान के परंपरागत शिल्पों के विकास और संवध् र्नि हेतु विशेष क्लस्टर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा प्रीमियम रेल सेवाओं के किराए में वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा देश में बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में सशस्त्र सेना भर्ती केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने हेतु एक चिकित्सा दल भेजने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री मुकेश राजपूत द्वारा जन-धन बैंक खातों की जमा सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निवोचन क्षेत्र में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को रेल किराए में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा भारतीय रेल में प्रीमियम तत्काल स्कीम को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संरक्षण सुरक्षा बल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एस॰ राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में त्रिची मंडल के अंतर्गत अनईवाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के बारे में।

(19) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल में बुनकरों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में।

(20) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा देश में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के बारे में।

(21) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा उड़ीसा के पारादीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा जल निकायों में हुए प्रदूषण की जांच की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की संशोधित अनुसूची-एक के अनुसार मनरेगा और एमपीलैड्स निधियों को मिलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा राष्ट्रीय जांच अभिकरण द्वारा पंजीकृत मामलों की न्यायिक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अजगराधाम के विकास के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री नव कुमार सरनीय द्वारा असम के बीच-राजबंग्शी, आदिवासी चाई, अहोम, मोरान, मोटोक और सुतिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन् 12.37 बजे

(*व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार,* 24 *नवम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3306LS(S3)—23-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 24 नवम्बर, 2016/3 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 183

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी लोक सभा के सदस्य श्री राम नरेश यादव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने सुविख्यात गायक, संगीतकार और कर्नाटक संगीतज्ञ डॉ॰ एम॰ बालामुरलीकृष्णा का 22 नवंबर, 2016 को हुए निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल के एक मस्जिद पर हुए आतंकी हमले में लोगों के मारे जाने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनका नाम तारांकित प्रश्न संख्या 121 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 121 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 122—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किया:—

> ''माननीय सदस्यगण, आज जब प्रश्नकाल चल रहा था उस समय श्री अक्षय यादव, संसद सदस्य ने कुछ कागजात फाड़े और उन्हें अध्यक्ष के आसन और सभा पटल की तरफ फेंका। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 349(21) में अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध है कि जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य ''सभा में अभ्यापत्तिपूर्वक दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा''। श्री अक्षय यादव का यह व्यवहार सभा के नियमों और परम्पराओं के अंतर्गत मानदंडों और शिष्टाचार का घोर उल्लंघन है। सदस्य का यह व्यवहार उनके लिए और सभा की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए भी उचित नहीं।

अत: मैं श्री अक्षय यादव के आचरण पर अपनी घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें चेतावनी देती हूं कि वे भविष्य में इस तरह के अनुशासहीन कृत्यों से बचें।''

5. **सभा की सदस्यता से त्यागपत्र**

अध्यक्ष ने सभा को यह सूचित किया कि पंजाब के अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 23 नवम्बर, 2016 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.04 बजे

6. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिनरल एक्सपलोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एनएचडीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) टीएचडीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 677(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खान और खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान) (संशोधन) नियम, 2016, जो 31 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 837(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 2356(अ), जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियां एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियां एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक और खंड दो) (भाग एक और दो), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) कामराजर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(7) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) मोटर-यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय मोटर-यान (नौवां संशोधन) नियम, 2016, जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 868(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर-यान (दसवां संशोधन) नियम, 2016, जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर-यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 889(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर-यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 20 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर-यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर-यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर-यान (पंन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर-यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 954(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर-यान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2016, जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 953(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय मोटर-यान (अठाहरवां संशोधन) नियम, 2016 जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 963 में प्रकाशित हुए थे।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2489(अ), जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 53) (अमरावती-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2490(अ), जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 10 (दिल्ली/हरियाणा सीमा रोहतक-हिसार खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2524(अ), जो 25 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 422(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) का॰आ॰ 2694(अ), जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 3 (पिम्पल गांव-नासिक-गोंडे खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2695(अ), जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 148डी (भीम-परसौली-गुलाबपुरा- शाहपुरा-जहाजपुरा-हिंडोल-नैनवां-उनियारा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2696(अ), जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 4बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 348) और 4 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 48) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2723(अ), जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2820(अ), जो 31 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 200 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2846(अ), जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 838(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दस) का॰आ॰ 2909(अ), जो 9 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 25 (मध्य प्रदेश/उत्तर

प्रदेश सीमा–शिवपुरी–भोगनीपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3010(अ), जो 21 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 458 (लदनु–खाटू–डेगना–मैर्टा सिटी–लाम्बिया–जैतरण–रायपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 3011(अ), जो 21 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में चार लेन के आगरा सिटी बाईपास के प्रयोग के लिए या तो अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकर्ता शुल्क के माध्यम से शुल्क के संग्रहण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 3012(अ), जो 21 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 37ए पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कलियाभोमोरा पुल को प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण से छूट प्रदान किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 3097(अ), जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 5 के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 3098(अ), जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उसमें उल्लिखित बीओटी (टोल) परियोजनाओं के रियायतियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 3271(अ), जो 24 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 53) (तालेगांव–अमरावती–गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 3381(अ), जो 3 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 13 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 50) (हासपेट–चित्रदुर्ग खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(10) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण में राज्य मंत्री ने युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2015-2016 और 2016-2017) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 272वें और 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री नाना पटोले द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को कलुषित या अपमानित करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में 'एम्स' जैसे संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले में विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु निधियां मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा झेरडा से सिरोही मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास जिले में सोलर पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सत्यपाल सिंह द्वारा किसानों को पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों से बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्रियों की खरीद करने में समर्थ बनाने हेतु उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नियमित अंतरालों पर सतकर्ता और निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती के॰ मरगथम द्वारा कांचीपुरम से चेन्नई बीच बरास्ता तिरूमलापुर के लिए चलने वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री के॰ परसुरमन द्वारा तमिलनाडु में ग्रैंड एनिकट कैनाल परियोजना के पुररुद्धार हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री लडू किशोर स्वाइँ द्वारा उड़ीसा के अस्का स्थित बबनपुर में गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रेम दास राई द्वारा सिक्किम में पक्योंग हवाई अड्डे के निर्माण में विलंब के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार 25 नवम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3376LS(S3)—24-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 184

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 26 नवम्बर को मनाए जाने वाले ''संविधान दिवस'' के अवसर पर उल्लेख किया।

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले की आठवीं बरसी का उल्लेख किया। अध्यक्ष ने सभा की ओर से उन शूरवीर सुरक्षा बलों के उद्धरणीय साहस और वीरतापूर्ण कृत्य के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और इस हमले के पीड़ितों के परिवारों और संबंधियों के प्रति अपनी चिर सहानुभूति व्यक्त की।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 141 और 142 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.19 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 143—160 के उत्तर पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (5वां संशोधन) नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार के लिए बीमांक प्रतिवेदन और सार) विनियम, 2016 जो 9 मई, 2016 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/10/122/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/22/134/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता) विनियम, 2015 जो 3 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/18/108/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुन: बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन) विनियम, 2015 जो 23 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/17/107/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुन:बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/1/113/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 835(अ) जो 30 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 850(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 857(अ) जो 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 902(अ) जो 22 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम/उपक्रम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक भूखण्डों को दीर्घकालिक (30 वर्ष या उससे अधिक का) पट्टा प्रदान करने के माध्यम से उस सीमा तक सेवा कर अथवा ऐसे पट्टे पर संदेय एक बारगी अग्रिम राशि (प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास प्रभार अथवा किसी अन्य नाम से बुलाई जाने वाली) पर संदेय सेवा कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 923(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1831(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016, जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1903(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आय घोषणा स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2477(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 2478(अ) जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के जिले को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आय घोषणा स्कीम (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2705(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आय घोषणा स्कीम (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2728(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2016 जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3150(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2016 जो 4 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3145(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का०आ० 3078(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना का०आ० 892(अ) को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का०आ० 3079(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 और परवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए आय की संगणना और प्रकटीकरण के लिये नये मानक के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2016 जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3080(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का०आ० 3075(अ) जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2016 जो 2 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1949(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2016 जो 20 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2151(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2016 जो 27 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2016 जो 9 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2671(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2016 जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2747(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2439(अ), जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं॰ 102/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 21 जुलाई, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2564(अ) जो 29 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं॰ 105/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 3 अगस्त, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं॰ 106/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 4 अगस्त, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 2707(अ) जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं॰ 112/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 18 अगस्त, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना सं॰ 117/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 26 अगस्त, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 2822(अ) जो 31 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना सं॰ 119/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 1 सितम्बर, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2945(अ) जो 15 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या

36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना सं॰ 121/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 15 सितम्बर, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना सं॰ 122/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 22 सितम्बर, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 3102(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) अधिसूचना सं॰ 124/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 3205(अ) जो 14 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) अधिसूचना संख्या 127/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तनं के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 3351(अ) जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) अधिसूचना संख्या 136/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰) दिनांक 3 नवम्बर, 2016 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 937(अ) जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 813(अ) जो 23 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 851(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 873(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 891(अ), जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 901(अ), जो 22 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या

12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 909(अ), जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा॰का॰नि॰ 931(अ), जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाइस) सा॰का॰नि॰ 947(अ), जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) सा॰का॰नि॰ 907(अ), जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 795(अ), जो 13 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वाणिज्य विभाग द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.04ए में अधिसूचित विशेष अग्रिम प्राधिकार स्कीम, के अंतर्गत केवल फैब्रिक (इंटरलाइनिंग सहित) के ड्यूटी फ्री आयात के लिए उपबंधों को क्रियान्वित किए जाने के बारे में है जिसके निबंधनों के अनुसार विनिर्मित और निर्यातित गार्मेंट्स में कतिपय शर्तों के अध्यधीन फैब्रिक को शामिल किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्तीस) का॰आ॰ 2566(अ), जो 29 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना

संख्या 52/2003-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बतीस) सा॰का॰नि॰ 948(अ), जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं॰ 94/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापस लेना (संशोधन) नियम, 2016, जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 1019(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1018(अ) जो 31 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वापस लिए जाने की समस्त उद्योग दरों को संशोधित करने के बारे में है, जो किसी आयातित सामग्री अथवा आबकारी-शुल्क योग्य सामग्री पर आदेय, यथास्थिति, सीमा शुल्क, केन्द्रीय आबकारी शुल्क अथवा सेवाकर की औसत रियायत है जिनका प्रयोग निर्यात किए जाने वाले माल के विनिर्माण में इनपुट सेवाओं के रूप में प्रयुक्त इनपुटों अथवा कर योग्य सेवाओं के रूप में किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इन दरों का उनके निर्धारण कारकों में परिवर्तन के अनुरूप आवधिक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अधिसूचना 15-11-2016 से प्रभावी होगी।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 796(अ), जो 13 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं॰ 110/2015-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 935(अ), जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा

66बी के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऐसी संस्थाओं के विद्यार्थियों, शिक्षक और स्टाफ को 1.4.2013 से 10.7.2014 की अवधि के लिए परिवहन सेवाओं पर संदेय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 914(अ), जो 26 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा 1.7.2012 से 20.10.2015 तक योग के एडवांसमेंट के द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 66बी के अधीन संदेय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 823(अ), जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 852(अ), जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 874(अ), जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 760(अ) जो 2 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित पोलीटेरा फलूरो इथेलिन (पीटीएफई) के आयात पर लगाए गए अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 23 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 762 (अ) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में अद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सिलाई मशीन की सुई के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 21 जून, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 763 (अ) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य और यूएई में अद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित ओपल ग्लास वेयर के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 8 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 769 (अ) जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीआईएफ आधार पर निर्यात मूल्य जिसपर अथवा जिसके ऊपर सुरक्षोपाय शुल्क 'हॉट रॉल्ड फलैट प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन एलाय एंड अदर अलॉय स्टील इन कॉयल्स ऑफ विड्थ ऑफ 600 एमएम और मोर' प्रयोज्य नहीं होगा, विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 773 (अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाईट्रेट के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 16 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 774 (अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी

गणराज्य में अद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबर कैमिकल अर्थात् डाईबैंजोथियाजोल डायसल्फाइड (एमबीटीएस) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 19 अक्तूबर, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 775 (अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स हैनिन टियाफू वार्प निटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य और मैसर्स मन्ना, कोरिया जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित पीवीसी फलैक्स फिल्म का भारत में आयात जिसका उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के अनुसरण में अंनतिम मूल्यांकन किया गया है, के अंनतिम मूल्यांकन का अंतिम रूप विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 776 (अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फलैक्स फिल्म पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, अध्यारोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 777 (अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित बम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टैपल फाइबर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, अध्यारोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 778(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'हॉट राल्ट फलैट प्रोक्ट्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील' पर छह माह की अवधि के लिए, विहित रूप से

निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 799(अ) जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन, जापान, कोरिया जनवादी गणराजय और युक्रेन, में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कोल्ड राल्ड फलैट प्रोटक्ट्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील' पर छह माह की अवधि के लिए, विहित रूप में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 806(अ) जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 22 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। थाईलैंड और नार्वे में उद्भूत अथवा से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क को अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर व्यपगत किए की अनुमति दी गई है।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 807(अ) जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आई-फिनाइल-3 मिथाइल-5 पाइराजोनोल के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 23 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 846(अ) जो 1 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 7091 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित ''ग्लास और तत्संबंधी वस्तुओं'' पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 864(अ) जो 7 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य के उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पारा नाइट्रोनिलिन के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क की लेवी एक साल की और अवधि अर्थात् 8 सितम्बर, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 960(अ) जो 6 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट प्रकार के नैरो वुवन (हुक एंड लूप वेल्क्रो टेप्स) के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—

(i) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

(ii) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कड़प्पा

(iii) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नहरलागुन

(iv) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

(v) बगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शीदाबाद

(vi) बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर

(vii) बडोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(viii) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय

(ix) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(x) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

(xi) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

(xii) ग्रामीण बैंक, आफ आर्याव्रत, लखनऊ

(xiii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

(xiv) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

(xv) जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू

(xvi) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(xvii) कांशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी

(xviii) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

(xix) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम

(xx) लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, डिफू

(xxi) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर

(xxii) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

(xxiii) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

(xxiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

(xxv) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल

(xxvi) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

(xxvii) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर

(xxviii) उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर

(xxix) पल्लवन ग्राम बैंक, सलेम

(xxx) पांडियन ग्राम बैंक, विरूधुनगर

(xxxi) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावडा

(xxxii) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(xxxiii) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

(xxxiv) पुडुवई भर्थियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी

(xxxv) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर

(xxxvi) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(xxxvii) राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर

(xxxviii) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर

(xxxix) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ

(xl) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

(xli) सौराष्ट ग्रामीण बैंक, राजकोट

(xlii) सतलुज ग्रामीण बैंक, भटिंडा

(xliii) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(xliv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

(xlv) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

(xlvi) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(xlvii) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून

(xlviii) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

(xlix) विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

(12) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशेधित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निर्वारण (जब्त संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 जो 26 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 913 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याखात्मक ज्ञापन।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की निबन्धन और शर्तें) नियम, 2015 जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण प्रेजीडेंट और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की निबन्धन और शर्तें) नियम, 2015, जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और निकासी निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/011 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2016-17/008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/009 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निस्तारण) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/010 में प्रकाशित हुए थे।

(18) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (13वां संशोधन) विनियम, 2016, जो 9 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (11वां संशोधन) विनियम, 2016, जो 24 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (12वां संशोधन) विनियम, 2016, जो 24 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पतिक संविदा) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1005(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (10वां संशोधन) विनियम, 2016, जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1015(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 869(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 389 (अ) का शुद्धीपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दाजिर्लिंग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दाजिर्लिंग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शान्ता कुमार ने 'चुने हुए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2015-2016) के 8वें प्रतिवेदन

(16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा ने 'लंबित परियोजनाओं' विषय पर रेल संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 10वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 28 नवम्बर, 2016 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#अपराह्न 12.34 बजे

11. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि आज प्रात: लगभग 11 बजकर 20 मिनट पर, जब सभा स्थगित हो गई थी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निजामपुर निवासी श्री राकेश सिंह बघेल, जो लोक सभा की दर्शक दीर्घा से सभा की कार्यवाही देख रहे थे, ने सभा के फर्श पर कूदने का प्रयास

---

*रेल संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 10वां प्रतिवेदन 'अध्यक्ष के निदेश, लोक सभा' के निदेश 71क के अंतर्गत 31.08.2016 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने 31.08.2016 को 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत सभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने/रखे जाने के पूर्व उसके मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

#अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 12.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

किया। संसद के सुरक्षाकर्मियों ने उन पर काबू कर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। संसद सुरक्षा द्वारा अपनी जांच पूरी होने के बाद उन्हें चेतावनी देकर रिहा कर दिया जाए। मैं आशा करती हूं कि सभा इससे सहमत होगी।''

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.35 बजे

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार,* 28 *नवम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3399LS(S3)—25-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 28 नवम्बर, 2016/7 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 185

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने क्यूबा के भूतपूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का 25 नवंबर, 2016 को क्यूबा के हवाना में हुए निधन के बारे में उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 162 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा प्रश्न संख्या 162 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 163 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 163 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 164 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि,संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 164 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं॰ 165—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016 जो 16 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 523(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2016 जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 788(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2016, जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 872(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) शैलॉक एंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शैलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलॉक एंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, (पूर्ववर्ती शैलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिंल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) प्लॉस्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लॉस्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमेशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) काउंसिल फॉर लैदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लैदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(11) (एक) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) कैमिकल्स एंड एलाइड प्रोडकट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमिकल्स एंड एलाइड प्रोडकट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) बेसिक कैमिकल्स कॉस्मैटिक्स एंड डाइज़ एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमिकल्स कॉस्मैटिक्स एंड डाइज़ एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2895(अ), जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 19 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) केरल सर्व शिक्षा अभियान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल सर्व शिक्षा अभियान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) उजाला सोसायटी, जम्मू के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, जम्मू के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) विशाखापत्तनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) विशाखापत्तनम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(37) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम् के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (परिषद्) नियम, 2016, जो 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 856 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 29 के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय संविधि, 2016, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 979 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(40) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 35/2016 के॰उ॰शु॰ जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन पीओएस उपकरणों के विनिर्माण के सभी माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सी वी शुल्क में छूट प्रदान किया जाना है। ये छूट 31.3.2017 तक मान्य होगी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

---

*अपराह्न 12.22 बजे

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती अंजू बाला ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2016-17' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'स्वायत्तशासी संस्थानों का कार्यकरण—सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजी (सीआईपीईटी) और इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नॉलॉजी (आईपीएफटी)' विषय पर 20वें प्रतिवेदन (16 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28 वाँ प्रतिवेदन।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्रीमती अंजू बाला ने 'अनुदानों की मांगों (2015-16) (भेषज विभाग) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी उत्तरों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

अपराह्न 12.04 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 226 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(20) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया—

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 20 में प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित ''लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास'' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.05 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री पी॰ करूणाकरन
5. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
6. श्री पी॰ कुमार
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री आनंदराव अडसुल

*श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.24 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) **श्री जगदम्बिका पाल** द्वारा उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*गृह मंत्री।

(2) **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा** द्वारा गुजरात में प्रताप नगर (बड़ौदा) से जम्बूसर की मीटर गेज का आमान परिवर्तन करने तथा राज्य में भरूच से जम्बूसर तक एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) **श्री राहुल कास्वां** द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूरस्थ एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए जलसंचय टैंकों के निर्माण की गति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) **श्रीमती रंजनबेन भट्ट** द्वारा गुजरात के बड़ौदरा में छायापुरी रेलवे स्टेशन का उन्नयन कर सेटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) **डॉ॰ किरीट सोमैया** द्वारा मुम्बई विमानपत्तन के आस-पास निर्माण/विकास हेतु वर्तमान कानूनों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) **श्रीमती रमा देवी** द्वारा बिहार में शिवहर के रास्ते सीतामढ़ी से मोतीहारी रेल लाइन परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) **प्रो॰ रिचर्ड हे** द्वारा अनुसूचित जनजातियों को देश के मूल नागरिक माने जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) **श्री हरीश मीना** द्वारा सैन्य बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को एक समान आर्थिक राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) **कुमारी शोभा कारान्दलाजे** द्वारा एकीकृत कॉफी विकास परियोजना का लाभ मध्यम, बृहद और कार्पोरेट कॉफी बागानों को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) **श्री प्रहलाद जोशी** द्वारा उत्तर कनार्टक के सेवानिवृत्त कलाकारों की पेंशन उन्हें शीघ्र वितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) **श्रीमती ज्योति धुर्वे** द्वारा मध्य प्रदेश में मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** द्वारा देश से टीबी के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) **श्री हरिशचन्द्र चव्हाण** द्वारा यूरोपीय देशों द्वारा अंगूर की खेप को रद्द किए जाने के मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) **प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस** द्वारा मछुआरों के समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) **श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन** द्वारा लम्बी दूरी की गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) **डॉ॰ (श्रीमती) ममताज़ संघमिता** द्वारा ई–फार्मेसिज द्वारा औषधियों की बिक्री पर निगरानी हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) **श्रीमती अपरूपा पोद्दार** द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चन्द्रकोना में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) **श्री झीना हीकाका** द्वारा ओडिशा के झोडिया पर्जा, दूरुआ और नक्टी डोरा समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) **श्री राहुल शेवाले** द्वारा मुम्बई के दक्षिण–मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेहूल और अम्बापाडा गांव से जहरीले रसायनों के भंडारण सुविधा को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) **श्री राम मोहन नायडू किंजरापु** द्वारा मंडल एवं जिला परिषदों को निधियां दिए जाने के बारे में।

(22) **श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी** द्वारा तेलंगाना के मछुआरों को विपणन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) **श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर** द्वारा केरल के कन्नूर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) **श्री जय प्रकाश नारायण यादव** द्वारा बिहार के बांका जिले में ककवारा मेगा विद्युत संयंत्र की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुरस्थापित

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

@अपराह्न 2.10 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 29 *नवंबर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

@अपराह्न 2.02 बजे से अपराह्न 2.10 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3444LS(S3)—28-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 29 नवम्बर, 2016/8 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 186

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा शपथ

असम के लखीमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री प्रधान बरूआ ने असमिया में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.13 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न सं॰ 182 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.36 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 183—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटीस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटीस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटीस्टिक्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटीस्टिक्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3053(अ), जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान

तथा मुंबई, कल्याण और चेन्नई स्थित इसकी प्रादेशिक प्रयोगशालाओं के सहायक निदेशक और उप निदेशक को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए उर्वरक निरीक्षिक के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2016 जो 23 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3054(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) (एक) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) बहु-राज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 की धारा 124 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहु-राज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2016, जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 798 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अतर्गत पादप संघरोघ (भारत में आयात का विनियमन)(7वां संशोधन) आदेश, 2016, जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2614 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 3371(अ) जो 3 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें रबी फसल 2016-17 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतर्देशीय विनिर्माताओं द्वारा की गई यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाला आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम, 2000 की धारा 56 के अंतर्गत रासायनिक हथियार अभिसमय नियम, 2016, जो 30 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 834(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 2015, जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी॰1(1)/2015 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) केन्द्रीय भंडागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.06 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.01 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राम प्रसाद सरमा द्वारा असम के निचली सुबनसिरी जलबिजली परियोजना का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेषकर हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छोटे ऋण की वसूली और किसानों के छोटे ऋणों को माफ किए जाने का कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारदोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उधना–जलगांव रेल लाइन पर अंडरपास और सड़क ऊपरी पुल के बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विक्रम उसेंडी द्वारा छत्तीसगढ़ के महरा/माहरा जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक पॉलिक्लिनिक तथा छह और सीजीएचएस संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा चन्दन बांध के पानी को झारखंड के गोड्डा तक ले जाने हेतु एक सिंचाई नहर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा ऐतिहासिक एवं पौराणिक पाठों का गलत चित्रण करने वाले टीवी सीरियलों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों विशेषकर पलामू और गढ़वा जिलों में नदियों से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा भारतीय खाद्य निगम दिल्ली के घेवरा डिपो दिल्ली में कार्यरत अस्थायी कामगारों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन और केशवारी रेलवे स्टेशन के बीच सड़क ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा श्रम ठेकेदारों के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में दिव्यांगों के अनुकूल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा देश में उच्च गति रेल नेटवर्क स्थापित करने हेतु उत्तर–दक्षिण हिरक चतुर्भुज रेल परियोजना पर कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित छत्रपति शिवाजी की मां राजमाता जीजाऊ की जन्मस्थली सिंदखेड़ राजा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित किए जाने एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा सूखा प्रभावित कर्नाटक को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री गौरव गोगोई द्वारा उत्तर-पूर्व राज्यों में सौर पम्प कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम॰ उदयकुमार द्वारा तमिलनाडु में डिंडीगुल के नजदीक श्रीमलई हिल्स में पर्यटन अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री आर॰पी॰ मरुदराजा द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समयपुरम गांव के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर एक सर्विस रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) प्रो॰ सौगत राय द्वारा नियंत्रण रेखा के निकट स्थिति सामान्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री तापस पाल द्वारा पश्चिम बंगाल में विशेषकर कृष्णा नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को धान और जूट का लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के मल्लकानगिरी जिला को जापानीज इंसेफलाइटिस टीका जिला घोषित किए जाने तथा यहां समय पर टीकाकरण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2011 को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा बहुविध खेल और सांस्कृतिक परिसर का निर्माण किए जाने हेतु असम राइफल्स परिसर द्वारा अधिकृत भूमि त्रिपुरा राज्य सरकार को सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत हरियाणा के हिसार में 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री सी॰एन॰ जयदेवन द्वारा केरल के त्रिशुर जिले में घरों के निर्माण/मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 2.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.30 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.30 बजे

6. सरकारी विधेयक—पारित

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 32 मिनट

श्री अरूण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 महत्वपूर्ण लोक महत्व का विधेयक है। मेरी इच्छा है कि सभा में इस विधेयक पर गहन वाद-विवाद हो। तथापि, वर्तमान स्थिति में इस विधेयक पर चर्चा करना संभव नहीं है। सभा में आप लोगों के व्यवहार के तरीके के कारण ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। इस विधेयक पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है। माननीय सदस्यगण, इस बात को स्वीकार करेंगे कि सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित किया जाना आवश्यक है। अत: मैं इस विधेयक के संबंध में आगे प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए सीधे ही रखूगी।''

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, सर्वश्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन, बी॰ महताब, राजीव सातव और के॰सी॰ वेणुगोपाल ने कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक के संशोधन सभा पटल पर रखे। मैं सभा को यह सूचित करना चाहती हूं कि श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन का संशोधन संख्या 1, 2, 3, 6 और 7, श्री बी॰ महताब का संशोधन संख्या 11, श्री राजीव सातव द्वारा

सभा पटल पर रखे गए दोनों संशोधन तथा श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल का संशोधन संख्या 12 को लोक सभा में पेश किए जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 117 का खंड (1) और अनुच्छेद 274 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित है। चूंकि संशोधनों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अत: माननीय सदस्यों को इन संशोधनों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तथापित, मैं श्री महताब और श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन को उनके ऐसे संशोधन जिन्हें पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, पेश करने के लिए पुकारूंगी।''

विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ:

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए खंड 5 के संशोधन सं॰ 10 पर मतदान हुआ तथा वह अस्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.02 बजे

(*व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार,* 30 *नवंबर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3510LS(S3)—29-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 30 नवम्बर, 2016/9 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 187

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किए:—

क्रम सं॰	सदस्य के नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री पार्था प्रतिम रे	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	शपथ	बंगाली
2.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	तामलुक	पश्चिम बंगाल	शपथ	बंगाली

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.12 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.04 *बजे पुनः समवेत हुई*।)

तारांकित प्रश्न सं॰ 202—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.04 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नार्थ इंस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उमियम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ इंस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उमियम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 10 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 241 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) चंडीगढ़ वक्फ काउंसिल, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) चंडीगढ़ वक्फ काउंसिल, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(क) (एक) डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 8 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित 10 सदस्यों को निर्वाचित किया—

1. श्री नरेन्द्र बुढानिया
2. श्री हुसैन दलवई
3. श्री राम नारायण डूडी
4. श्री बी॰ के॰ हरीप्रसाद
5. श्री अहमद हसन
6. डॉ॰ विकास महात्मे
7. श्री विश्वम्भर प्रसाद निशाद
8. श्री राजाराम
9. श्रीमती विजिला सत्यानंत
10. श्री राम नाथ ठाकुर

(दो) कि राज्य सभा ने 9 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में श्री के॰सी॰ त्यागी की राज्य सभा से सेवा निवृत्ति के कारण हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उन्होंने राज्य सभा के सदस्य श्री शरद यादव, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 14वां और 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.07 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) दिया।

*अपराह्न 12.08 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में निवेदन किए:

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
3. मो॰ सलीम
4. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
5. श्री भर्तृहरि महताब

$ श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

$$ श्री अरुण जेटली ने भी उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.33 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.45 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

#अपराह्न 12.57 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

---

*अपराह्न 12.27 बजे से अपराह्न 12.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$संसदीय कार्य मंत्री।

$$वित्त मंत्री।

#अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 12.56 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

1. श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं को ग्रुप 'घ' कर्मचारी के रूप में नियमित करने के साथ-साथ ग्रुप घ कर्मचारियों को देय पर्याप्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. प्रो॰ चिंतामणि मालवीय द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों द्वारा सृजित औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री राघव लखनपाल द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने एवं किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाया राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु राजी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा ने महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रीधपुर में रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री राम टहल चौधरी द्वारा भारी अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड, रांची, झारखंड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जादूगोडा में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड खानों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा दूसरे राज्य में जाकर बसने वाले लोगों को निर्वाचन के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा छात्रों के लिए रेल यात्रा हेतु निःशुल्क मासिक सीजन टिकट पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैद्य देवली रेलवे स्टेशन का विकास और प्रचालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान के नागौर, मेरता और देगना में मूंगदाल के न्यूनतम सांविधिक मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत योजना का त्रुटिविहीन कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री मानशंकर निनामा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, बागवानी क्षेत्र और लघु उद्योगों के विकास के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री डी॰ के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक में विद्यमान सूखे की स्थिति के बारे में।

14. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल के अलप्पुझा जिले के अर्थुंगल और थोटापल्ली में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री सी॰ महेन्द्रन द्वारा करेंसी नोट के विमुद्रीकरण के कारण तमिलनाडु के किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में।

16. श्री आर॰ पार्थिपन द्वारा तमिलनाडु के थेनी जिले में फूड पार्क और एग्री एक्सपोर्ट जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग) द्वारा गरीबों को उचित मूल्य पर औषधी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक में गडखई दाय परियोजना का समय पर कार्यान्वयन, नवीकरण और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री प्रतापराव जाधव द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के मंगलागिरी में सामूहिक हथकरघा पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तन जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लम्बित परियोजनाओं के बारे में।

22. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश के किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री प्रेम दास राई द्वारा जानलेवा बीमारी सेप्सिश को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.59 बजे

(*व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार,* 1 *दिसम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3548LS(S3)—30-11-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 01 दिसम्बर, 2016/10 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 188

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 29 नवम्बर, 2016 को जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादी हमले में 7 सैनिकों के शहीद होने और अन्य कई लोगों के घायल होने का उल्लेख किया।

सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ समय के लिए मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सदस्य द्वारा निवेदन

सर्वश्री सुदीप बंदोपाध्याय और %मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अन्य यात्रियों को ले जा रहे निजी विमान के कोलकाता हवाई हड्डे पर हवाई यातायात के कारण उतरने में देर होने की खबर के बारे में निवेदन किया।

@श्री अंनत कुमार ने उत्तर दिया।

*श्री अशोक गजपति राजू ने भी उत्तर दिया।

%अपराह्न 11.10 बजे

@संसदीय कार्य मंत्री

*नागर विमानन मंत्री

पूर्वाह्न 11.13 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 221 और 222 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.43 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं॰ 223—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3016(अ), जो 21 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अधिकृत सदस्यों का 29 सितम्बर, 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बूदूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बूदूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(5) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) वी॰ओ॰ चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिक लेखे।

(दो) वी॰ओ॰ चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोचीन, शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन, शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 17 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3165(अ), जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, पूर्व अपर जिला न्यायधीश, कोटा, राजस्थान को दिनांक 6.9.2016 के पूर्वाह्न से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 3166(अ), जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरण, मुंबई को दिनांक 6.9.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक चंडीगढ़, कोलकाता, जबलपुर, बंगलौर, चेन्नई और गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्य का भी निर्वहन करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 3333(अ), जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1912(अ) का अधिक्रमण किया गया है।

(17) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि न्यास), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि न्यास), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) यू॰पी॰ प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू॰पी॰ प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपुर्यक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(23) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) मैन-मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं॰ 36/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 99.5. और अधिक शुद्धता वाले ब्रांडेड गोल्ड कॉयन (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनिम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत आने वाले) पर उत्पाद शुल्क, आगत वस्तुओं अथवा आगत सेवाओं अथवा पूंजीगत वस्तुओं का कोई क्रेडिट नहीं लिए जाने की शर्त के अध्यधीन शून्य किए जाने के लिए 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012

*अपराह्न 12.03 बजे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(28) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना सं॰ 59/2016-सीमाशुल्क जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत आने वाले गोल्ड कॉयन (ब्रांडेड अथवा गैर ब्रांडेड) जिनमें सोने का अवयव 99.5 प्रतिशत से कम नहीं हो और गोल्ड फांइडिग्स, दोनों पर सीवीडी की छूट को वापस लिये जाने के लिए 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(2) छठे प्रतिवेदन (2015-2016) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर समिति का की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री वीरेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'मेगा फूड पार्क्स' विषय पर 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

---

*अपराह्न 12.03 बजे

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेंडी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 286वां प्रतिवेदन।

(2) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 279वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 287वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 288वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 289वां प्रतिवेदन।

(5) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 282वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 290वां प्रतिवेदन।

(6) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 291वां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्री ओम प्रकाश यादव और कर्नल सोनाराम चौधरी, संसद सदस्यों द्वारा 'औद्योगिकी विकास' के बारे में 28 नवम्बर, 2016 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने 500 और 1000 रु॰ के नोट के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
3. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
4. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
5. श्री पी॰ करुणाकरन
6. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
7. श्री भर्तृहरि महताब

&श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.21 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंडक नदी से गाद निकालने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्रीमती रीती पाठक द्वारा स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के जरिए कैंसर के संबंध में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित चित्रकूट में सूर्यकुंड अथवा बेदी पुलिया में एक रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

& संसदीय कार्य मंत्री।

5. श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा जम्मू और कश्मीर के कारगिल में अस्पताल के निर्माण को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा महिला कैदियों के कल्याण हेतु पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन की संख्या बढ़ाने और सभी श्रेणियों की ट्रेनों में आरक्षित बर्थ की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जयसमन्द झील में नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु परियोजना से संबंधित प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन (डी॰पी॰आर॰) के प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री शरद त्रिपाठी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर अथवा सहारनपुर में चिकनगुनिया और डेंगू के उपचार हेतु पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं वाले चिकित्सालयों की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री देवुसिंह चौहान द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में डाकघरों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित नरसिंहगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ॰ उदित राज द्वारा भारतीय सेना में जाति आधारित रेजीमेंटो की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल उच्च न्यायालय की कार्यवाही को कवर करने हेतु मीडिया पर तथाकथित रूप से लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में।

15. डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा नये करेंसी नोटों पर मणिपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री टी॰ राधाकृष्णन द्वारा तमिलनाडु के विरूधुनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तोपुर में एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री आर॰ गोपालकृष्णन द्वारा करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के कारण तमिलनाडु के किसानों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में।

19. श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने स्कूलों द्वारा छात्राओं को सैनिटरी नैपकिंस प्रदान करने हेतु वेंडिंग और इनसिनरेटर मशीन लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा उड़ीसा के कंधामल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिल्ला सल्की नदी के ऊपर बहुउद्देश्यीय चेक डैम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा लोनावला और खंडाला की यात्रा करने वाले पर्यटकों हेतु वाहन पार्किंग सुविधा दिए जाने के लिए लोनावला रेलवे स्टेशन के निकट खाली पड़ी रेल भूमि का महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री राजू शेट्टी द्वारा पारा मिलिट्री बल के कार्मिकों हेतु सैन्य बल के कार्मिकों के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.23 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार, 2 *दिसम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3588LS(S3)—01-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 02 दिसम्बर, 2016/11 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 189

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने भोपाल गैस त्रासदी की 32वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ समय के लिए मौन धारण किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में कुछ टोल प्लाजा के पास सैन्य कर्मियों की तैनाती के बारे में निवेदन किया।

@श्री अंनत कुमार ने उत्तर दिया।

*श्री मनोहर पर्रिकर ने भी उत्तर दिया।

@संसदीय कार्य मंत्री।

*रक्षा मंत्री।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 241 और 243 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 242 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 242 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 244 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 244 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 245 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 245 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 246 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 246 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 247 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 247 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.49 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं॰ 248—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गएः—

(1) (एक) एरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलाजी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) 30.6.2016 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 30.6.2016 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के बारे में परिसमापक का

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 18 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज) पांचवां संशोधन विनियम, 2016 जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 1-12/मानक/एसपी (मिठाई, मिष्ठान)/ एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 1-120(2)/मानक/विकिरण चिकित्सा/एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) छठा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 1-120(1)/मानक/विकिरण चिकित्सा/एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विष और अवशिष्ट) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 13 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 1-99/एसपी(संदूषक)/रेग/एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 3-14पी/अधिसूचना (न्यूट्रास्यूटिकल्स/एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 3-14 एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्यूटिकल्स)/एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) सातवां संशोधन विनियम, 2016, जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ मानक/एसपी (वाटर एंड बेवरेजेज)/अधिसूचना (2)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) आठवां संशोधन विनियम, 2016, जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ मानक/सीपीएलक्यू॰सीपी/ ईएम/एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 2–15015/30/2012 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्रियों पर प्रतिषेध और निर्बन्धन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰मानक/एफ एंड वीपी/अधिसूचना (02)/एफएसएसएआई–2016 में प्रकाशित हुए थे।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016, जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण नियम, 2016, जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (लेखे) नियम, 2016, जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2016, जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 743(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण–पत्र) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2016, जो 9 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2016, जो 23 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 1 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 936(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 7 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1049(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) की मद सं॰ (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2922(अ), जो 12 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची पांच में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016, जो 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 898(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरू के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरू का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बीईएल ऑप्ट्रानिक डिवाइसेज़ लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रानिक डिवाइसेज़ लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बीईएल–थेल्स सिस्टम्स, बेंगलुरू पुणे के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल–थेल्स सिस्टम्स, बेंगलुरू का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

6. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'वर्ष 2016–17 के लिए रेल द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी मामले' के बारे में छठां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेल के अवसंरचना निर्माण में इस्कॉन की भूमिका के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी सातवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) 'अधिशेष रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की भूमिका के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी आठवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

7. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

8. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विनोद कुमार सोनकर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) व्यवसाय को सुकर बनाए जाने के संबंध में समिति के 122वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 128वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

(4) बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति के बारे में 130वां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का कार्यकरण' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 71वें और 88वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण को स्मरण होगा कि एक सदस्य के अनुचित व्यवहार की जांच करने के

लिए मेरे द्वारा गठित समिति को 2 दिसम्बर, 2016 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।

उसके बाद मुझे जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय एक और सप्ताह बढ़ाने के सम्बन्ध में जांच समिति के माननीय सभापति का अनुरोध प्राप्त हुआ।

उसमें वर्णित आधारों और कारणों पर उचित विचार करने पर मैंने समिति को उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक और सप्ताह का समय बढ़ाने के अनुरोध को स्वकार कर लिया है तथा समिति अपना प्रतिवेदन शुक्रवार, 9 दिसम्बर 2016 तक प्रस्तुत कर सकती है।

जैसा कि मैंने पहले टिप्पणी की थी, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री भगवंत मान, संसद सदस्य को सभा की बैठक में भाग तब तक न लेने की सलाह दी जाती है जब तक कि इस मामले में निर्णय नहीं ले लिया जाता।''

*अपराह्न 12.08 बजे

11. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से 5 दिसम्बर, 2016 से प्रारंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.37 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 5 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

* अपराह्न 12.17 बजे से अपराह्न 12.37 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3626LS(S3)—02-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 05 दिसम्बर, 2016/14 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 190

*पूर्वाह्न 11.06 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 261—264 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न सं॰ 265—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने 4 दिसम्बर 2016 को बैंकाक, थाईलेंड में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सभा की ओर से बधाई दी।

---

*पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.06 बजे तक सदस्यों ने अध्यक्षपीठ की अनुमति से निवेदन किए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) कर्मचारी पेंशन (छठा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1036 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1035 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 11 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1065 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 तक के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(18) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(19) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(20) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ पीयू/एसीए-1/संशोधन/2013-14 जो 15 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 19 के खंड (1) और (2) के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ 91 जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के परिनियम 2(4) के संशोधन के बारे में है।

(दो) अधिसूचना सं॰ एफ॰ 12-2/97/(जीए-आई)/वाल्यू॰-पांच/3659 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रतिकुलपति की परिलब्धियों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं॰ एफ॰ 12-2/97/(जीए-आई/वाल्यू॰-पांच/2687 जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के शासी परिषद के संविधान, शक्ति और कृत्यों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 29 के संशोधन के बारे में है।

(24) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ 22 जो 3 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के परिनियम 11 और 13 के संशोधन के बारे में है।

(दो) अधिसूचना सं॰ 267 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के परिनियम 2(4); 11 और 13 के संशोधन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं॰ 388 जो 25 अक्टूबर, 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के परिनियम 5, 11, 13, 41 और 45 के संशोधन के बारे में है।

(25) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (सम्मिश्रित अधिगम रीति से तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाना) विनियम, 2013 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 37-3/लीगल/एआईसीटीई/ 2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं॰ 11) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में रबड़ उद्योग' के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

'कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.08 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने 500 और 1000 रु॰ के नोट के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
3. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.53 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

4. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

5. श्री मुलायम सिंह यादव

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.53 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन:समवेत हुई)

अपराह्न 02.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा देश में वेक्टर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए मेंढकों तथा मच्छर खाने वाली मच्छलियों की फार्मिंग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के करोली में मदनमोहन मंदिर को कृष्ण सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के बखरी गांव में चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा देश में अंगदान को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा को नियमित किए जाने तथा राज्य में बीआरपी और सीआरपी शिक्षकों सहित उनका मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन मॉडल रेलवे स्टेशनों के रूप में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की कोटा तहसील में शिव तराई गांव में प्रशिक्षु तीरंदाजों को आवश्यक तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार के बक्सर में 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक वेद शोध एवं अध्ययन केन्द्र' खोले जाने तथा 'राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा संस्थान' और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री हरीश मीना द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अजय निषाद द्वारा मात्स्यिकी तथा मछुआरों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल के शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खानाकुल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा देश में बढ़ते वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के बारे में।

(16) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की तर्ज पर राज्यों के सरकारी उपक्रमों को न्यून भूमि के दोगुने भाग पर वनीकरण किए जाने के बदले वन्य भूमि का अन्यत्र प्रयोग करने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा मुम्बई के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कारण प्रभावित नावा एंड शेवा ग्रामों के किसानों को पुनर्वास पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰ निवास रेड्डी द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री मोहम्मद फैज़ल द्वारा लक्षद्वीप में प्रस्तावित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में।

(20) श्री राजेश रंजन द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दक्षिण बिहार केन्द्रीय विद्यालय के बीएबीएड/बीएससीबीएड (चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 03 मिनट
शेष : 1 घंटे 57 मिनट

श्री एº पीº जितेन्द्र रेड्डी ने काले धन को समाप्त करने के लिए करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के बारे में चर्चा उठाई।

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 06 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3686LS(S3)—05-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 06 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 191

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री ज्ञान सिंह, मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छह कार्यकाल तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और राज्य सभा की पूर्व सदस्य रहीं सेल्वी जे॰ जयललिता के 05 दिसम्बर, 2016 को तमिलनाडु के चेन्नई में निधन के बारे में उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात्, सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

3. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न सं॰ 281—300 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न सं॰ 3221—3450 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(लोक सभा बुधवार, 07 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3719LS(S3)—06-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2016/16 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 192

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 301—304 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.33 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 305—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परिलब्धियां, सेवा के निबंधन और शर्तें, शक्तियां और कृत्य, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आरएलबीसीएयू/बीओएम/3/एएंडपी/2016-भाग-एक में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क)(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग)(एक) बेंगलुरू मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बेंगलुरू मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 जो 24 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1085(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भू-संपदा (विनियमन और विकास) (बिक्री के लिए सहमति) नियम, 2016 जो 24 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1086(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3494(अ) जो 21 नवंबर, 2016 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह नियत किया गया है कि एक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तक समुचित सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, किसी भी विनियामक प्राधिकारी या किसी भी अधिकारी को विनियामक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकती है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ लेबर इकोनोमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ लेबर इकोनोमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल एटमास्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गदंकी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमास्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गदंकी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 792(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 793(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 1 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 841(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 1 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 842(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 10 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1061(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1062(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा अंतरिक्ष विभाग के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) महानगर दूरभाष निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर दूरभाष निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृहस्थी तथा सजावटी पेन्ट में लीड की मात्रा का विनियमन, नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1030(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पारसंचलन) संशोधन नियम, 2016 जो 6 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

बारहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 43	चौथा सत्र, 1999

तेरहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 56	तीसरा सत्र, 2000
3. विवरण संख्या 51	सातवां सत्र, 2001
4. विवरण संख्या 35	बारहवां सत्र, 2002

चौदहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या 33	तीसरा सत्र, 2006
6. विवरण संख्या 31	पांचवां सत्र, 2005
7. विवरण संख्या 34	छठा सत्र, 2005
8. विवरण संख्या 30	नौवां सत्र, 2006
9. विवरण संख्या 27	दसवां सत्र, 2007
10. विवरण संख्या 26	बारहवां सत्र, 2007
11. विवरण संख्या 30	तेरहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

12. विवरण संख्या 28	दूसरा सत्र, 2009
13. विवरण संख्या 25	तीसरा सत्र, 2009
14. विवरण संख्या 25	चौथा सत्र, 2010
15. विवरण संख्या 23	पांचवां सत्र, 2010
16. विवरण संख्या 22	छठा सत्र, 2010
17. विवरण संख्या 20	सातवां सत्र, 2011
18. विवरण संख्या 20	आठवां सत्र, 2011
19. विवरण संख्या 19	नौवां सत्र, 2011
20. विवरण संख्या 18	दसवां सत्र, 2012
21. विवरण संख्या 16	ग्यारहवां सत्र, 2012
22. विवरण संख्या 15	बारहवां सत्र, 2012
23. विवरण संख्या 14	तेरहवां सत्र, 2013
24. विवरण संख्या 12	चौदहवां सत्र, 2013
25. विवरण संख्या 10	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

26. विवरण संख्या 9	दूसरा सत्र, 2014
27. विवरण संख्या 8	तीसरा सत्र, 2014
28. विवरण संख्या 7	चौथा सत्र, 2015
29. विवरण संख्या 5	पांचवां सत्र, 2015
30. विवरण संख्या 4	छठा सत्र, 2015
31. विवरण संख्या 2	सातवां सत्र, 2016
32. विवरण संख्या 2	आठवां सत्र, 2016
33. विवरण संख्या 1	नौवां सत्र, 2016

(26) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(क) (एक) इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) रेलटेल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) (एक) नेशनल लेबर कोओपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर कोओपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3385(अ) जो 4 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में 20 कीटनाशियों को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 13 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 794(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(31) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृह मंत्रालय, अग्नि सलाहकार भर्ती नियम, 2016 जो 8 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 55 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, अग्नि उप-सलाहकार भर्ती नियम, 2016 जो 8 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 56 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 96 जो 15 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 8 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 55 और सा॰का॰नि॰ 56 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(35) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (अभियांत्रिकी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1040(अ) प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1488 (अ) जो 25 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक (एफआरओ), तिरूपति को 01.05.2016 से आंध्र प्रदेश राज्य की अधिकारिता में तिरूपति विमान पत्तन पर अवस्थित इमीग्रेशन चेक पोस्ट पर विदेशियों विषयक् आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 'सिविल न्यायालय' के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1489 (अ) जो 25 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए आंध्र प्रदेश के तिरूपति विमान पत्तन को एक प्राधिकृत इमीग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2872 (अ) जो 6 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवास अधिकारी सिविल एयर टर्मिनल, चंडीगढ़ (मोहाली साइड) को 01.09.2016 से पंजाब राज्य में विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 'सिविल न्यायालय' के रूप में नियुक्त किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 2873 (अ) जो 6 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए सिविल एयर टर्मिनल, चंडीगढ़ (मोहाली साइड) को एक प्राधिकृत इमीग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(37) नेशनल हैंडीकैप फिनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फार आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फार आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) सेंटर फार नैनो एंड साफ्ट मैटर साइंस, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार नैनो एंड साफ्ट मैटर साइंस, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकाडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकाडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटिरीयल्स, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटिरीयल्स, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंडियन एसोशिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोशिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोशिएशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोशिएशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन एकेडमी साइंसेज, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी साइंसेज, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलोजी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलोजी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटेफिक रिसर्च, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटेफिक रिसर्च, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) महाराष्ट्र एसोशिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, (अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोशिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, (अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) नेशनल एकाडमी साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकाडमी साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) नेशनल सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूअनंतपुरम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूअनंतपुरम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओसन रिसर्च, गोवा, के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एंड ओसन रिसर्च, गोवा, के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओसन इंफोर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओसन इंफोर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) दूरदर्शन-वीडियो एक्जीक्यूटिव, कैमरामैन श्रेणी एक और कैमरामैन श्रेणी-तीन भर्ती विनियम, 2016 जो 17 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एन-10/07/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती विनियम, 2016 जो 15 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एन-10/07/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

(60) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण—

(क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(62) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी, तंजावुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी, तंजावुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाईनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाईनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(66) (एक) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 और 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 और 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015–2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, दिसंबर, 2016 की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के बारे में 27वां प्रगति रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(70) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—संघ सरकार (2016 का संख्यांक 30) (निष्पादन लेखा परीक्षा)—पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम, विद्युत मंत्रालय।

(71) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2013–2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइट्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(75) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदनों (दिसंबर, 2016) के बारे में 12वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2016 जो 21 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3263(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016' विषय पर 37वां प्रतिवेदन।

(2) 'योजना प्रक्रिया-एक समीक्षा' के बारे में 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) 'वित्तीय संस्थाओं की गैर निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(5) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(6) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(7) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017)' के बारे में 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

6. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव (आईआईएसएफ-2016) के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के

बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-2017 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.13 बजे

9. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2013-2014 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन:समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, उन पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

(1) डा॰ रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखंड में विधान सभा और लोक सभा क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने तथा राज्य में विधान सभा और लोक सभा की सीटें वहां की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड में धनबाद रेलवे स्टेशन के निकट रेल लाइन के नीचे से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित अंडरपास को दो लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू-कश्मीर के जम्मू में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाईल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा देश में गन डीलरों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 12.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री मानशंकर निनामा द्वारा रतलाम–डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के मेहन्दिया से हरिहरगंज राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई के भांडुप में कैंसर अनुसंधान केन्द्र और अस्पताल के निर्माण के बारे में।

(9) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा भोटी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के सीतापुर कर्वी में केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राघव लखनपाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डाकघरों के वरिष्ठ अधिक्षक के पद को समाप्त किए जाने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में एक सांस्कृतिक केन्द्र और एक फूड क्राफ्ट संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा मुम्बई के निकट घोड़बंदर पर एक आठ लेन वाले नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा कर्नाटक के प्याज उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश में नदियों, पत्तनों और जलमार्गों की गाद निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री बलभद्र माझी द्वारा जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में पुराने करेंसी नोटों को बदलने की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री अरविंद सावंत द्वारा रेलवे प्लेटफार्मों पर वेंडिंग/कैटरींग सेवाओं की मौजूदा प्रणाली को बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अमरावती हेतु बाढ़ नियंत्रण परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेस ट्रांसेवियर स्टेशनों (बीटीएस) की खरीद और संस्थापन हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा असम में रह रहे हिन्दू बांग्लादेशी अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता दिए जाने संबंधी निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	05 मिनट
शेष	:	1 घंटे 55 मिनट

श्री एऽपीऽ जितेन्द्र रेड्डी द्वारा 5 दिसम्बर, 2016 को काले धन को समाप्त करने के लिए करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 08 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3753LS(S3)—07-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 08 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 193

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 321 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

तारांकित प्रश्न सं॰ 322—325 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.38 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 326—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह 'रिसोर्सेट-2ए' वाले रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षपण यान (पीएसएलवी सी-36) के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को सभा की ओर से बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयंबटूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयंबटूर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(6) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(8) (एक) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 की वार्षिक लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कमराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कमराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 की लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1051(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1052(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(14) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का॰आ॰ 2590(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) संशोधन नियम, 2016 जो 23 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2333(अ) 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 2334(अ) जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 2365(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71ख, 248क और 334ख के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 2366(अ) जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 2573(अ) जो 1 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छह) का॰आ॰ 2792(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 2811(अ) जो 30 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 2946(अ) जो 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 223 के विभिन्न खण्डों को नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है।

(नौ) का॰आ॰ 2947(अ) जो 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 2948(अ) जो 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2949(अ) 15 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20, 21क, 95, 503क और 88 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बारह) का॰आ॰ 3013(अ) 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 3211(अ) जो 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 3212(अ) 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 3213(अ) जो 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 3214(अ) जो 18 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8ड़ के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 3334(अ) जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 3335(अ) जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 209 (नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 948) के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(18) पवन हंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(20) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 24 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 8 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 977(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3095(अ) जो 30 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(24) (एक) वूल रिसर्च एसोशिएशन, थाने के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोशिएशन, थाने के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(25) (एक) सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(26) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

*(27) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत गेहूं के आयात शुल्क को बिना किसी अंतिम तारीख के निर्धारण तथा तत्काल प्रभाव से कम करके 10 प्रतिशत से शून्य करने के उद्देश्य से दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क का और संशोधन करने के आशय वाले एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 60/2016-सीमा शुल्क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(28) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर जो 20 जून, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड अथवा अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से किये गये किसी एकल लेन-देन संव्यवहार में दो हजार की धनराशि तक बन्दोबस्त के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा सेवाओं से छूट देने के लिए 8 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 52/2016-सेवा कर में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2016-2017) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने 'आम चुनावों में रक्षा सेवाओं के कार्मिकों द्वारा परोक्षी तथा डाक के माध्यम से मतदान-एक मूल्यांकन' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) भू-जल परिदृश्य की समीक्षा (एक) डार्क ब्लाक, और (दो) कतिपय उद्योगों द्वारा भू-जल का संदूषण के विशेष संदर्भ में देश में समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक

---

*अपराह्न 12.04 बजे

नीति और उपाय की आवश्यकता' विषय पर 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (2016-2017) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ ए॰ सम्पत ने 'उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरे जाने में अत्यधिक विलंब' विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 87वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

#11. सदस्य के अनुचित आचारण की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने एक सदस्य के अनुचित आचारण की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

12. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि बुधवार, 7 दिसम्बर, 2016 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने सोमवार, 12 दिसम्बर, 2016 को निर्धारित सभा की बैठक भारत के कुछ भागों में मनाए जा रहे मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन) के कारण रद्द करने के लिए अनुरोध किया था। तद्नुसार, कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की कि सोमवार, 12 दिसम्बर, 2016 के लिए सभा की निर्धारित बैठक मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन) के कारण रद्द की जाए।

मुझे आशा है कि सभा सहमत है।''

सभा सहमत हुई।

#अपराह्न 2.01 बजे

*अपराह्न 12.08 बजे

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सादियाबाद क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन द्वारा राष्ट्रगान के गायन पर कथित रूप से प्रतिबंध लगाया जाना।

(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित 'तटीय सुरक्षा स्कीम' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.47 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.01 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.01 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ उदित राज द्वारा सिविल सेवकों द्वारा संसद सदस्यों के प्रति नवाचार मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया शहर में फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.47 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में पोस्टल डिवीजन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क और जलाशय परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में तेनुघाट बांध से बोकारो इस्पात संयंत्र तक नहर का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'अन्न पशु प्रथा' के तहत पशुमालिकों द्वारा त्याग दिए गए मवेशियों से फसलों को बचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार पर जोर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान में उदयपुर के निकट आहड़-बासन संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण तथा इस स्थल को पर्यटन हेतु विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थापित वन ग्राम (वन टांगिया गांव) को स्थायी भू-पट्टे प्रदान करने और इन्हें राजस्व गांवों की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री नाराणभाई काछड़िया द्वारा जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुई क्षति के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा राजा रवि वर्मा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स को केरल के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कसारगोड से संबद्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराज नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अग्नि शमन प्रबंधन हेतु पृथक् बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ ममताज़ संघमिता द्वारा पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों विशेषकर एलॉए स्टील प्लांट दुर्गापुर के आधुनिकीकरण हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत को फसल बीमा की ईकाई के रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शैगांव तहसील में जालम्ब गांव के निकट समपार पर रेल ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा आन्ध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा त्रिपुरा में छह केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री जोस के॰ मणि द्वारा केरल के कोट्टायम में हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट के विनिवेश की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

15. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2016-17; और

(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2013-14

लिया गया समय: 50 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों-दूसरा बैच (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14 से 20, 22, 24 से 30, 32, 34 से 39, 41 से 44, 46 से 55, 58 से 61, 64, 66, 68, 73 से 75, 79 से 91, 93 से 95 और 97 और;

(दो) वर्ष 2013-2014 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 20, 23, 24, 25 और 32

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ किरीट सोमैया
2. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
3. श्री अभिषेक सिंह

4. श्री रविन्द्र कुमार जेना
5. श्री दुष्यंत चौटाला
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी
8. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
9. श्री वीरेन्द्र सिंह

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों-दूसरा बैच (सामान्य) के संबंध में सभी अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14 से 20, 22, 24 से 30, 32, 34 से 39, 41 से 44, 46 से 55, 58 से 61, 64, 66, 68, 73 से 75, 79 से 91, 93 से 95 और 97 वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की अनुपूरक मांग-दूसरा बैच (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2013-2014 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 20, 23, 24, 25 और 32 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

16. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2016

17. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2016

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

18. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2016

19. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2016

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 2.52 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 09 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3819LS(S3)—08-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 09 दिसम्बर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 194

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए वियतनाम समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेम्बली की प्रेजीडेंट महामहिम श्रीमती न्यूएन थि कीम न्यन और वियतनाम से आये संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के स्वागत के बारे में घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की दु:खद घटना के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं और आतंकी हमले को नाकाम करने में अपने जीवन का बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.07 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुन: समवेत हुई*)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं॰ 341 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.32 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई*)

तारांकित प्रश्न सं॰ 342—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) (एक) इंस्टीट्यूट फार पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) इंस्टीट्यूट फार पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की समीक्षा।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) जनरल इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) 30.9.2016 को समाप्त हुई तिमाही के लिए आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई के स्वैच्छिक परिसमापन (सदस्यों के स्वैच्छिक परिसमापन के अंतर्गत) के बारे में परिसमापक के 49वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(9) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या आईआरडीएआई/

आईएसी/6/118/2016 जो 9 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पूर्व में नियुक्त किए गए 23 सदस्यों के अतिरिक्त उसमें उल्लिखित दो सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1933 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3065(अ) जो 26 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मुंबई और पूना डीआरएटी के ऋण वसूली अधिकरण 1, 2 और 3 की अधिकारिता में परिवर्तन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 8 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (29वां संशोधन) नियम, 2016 जो 7 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3399(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेवाओं के उपबंध का स्थान (संशोधन) नियम, 2016 जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1055(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1056(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1057(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 1058(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 1082(अ) जो 22 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 सितंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या 20/2014-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा०का०नि० 1083(अ) जो 23 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा संचालित जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में '150 मि०मी० से कम या उसके समतुल्य नाममात्र मोटाई वाले या 600 मि०मी० से अधिक या उसके समतुल्य नाममात्र चौड़ाई वाले हाट रोल्ड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स ऑफ एलॉय या नॉन एलॉय स्टील' के आयात पर, विनिर्दिष्ट आयात मूल्य से कम मूल्य पर आयात करने पर 2 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। तथापि, उक्त रक्षोपाय शुल्क चीन जनवादी गणराज्य, यूक्रेन और इंडोनेशिया को छोड़कर विकासशील देशों से विषयगत माल के आयात पर लागू नहीं होगा।

(दो) सा०का०नि० 1039(अ) जो 2 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहत प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के प्राथमिक निष्कर्ष के अनुसरण में वायर रोड ऑफ एलॉय या नॉन एलॉय के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए विहित रीति से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 1054(अ) जो 9 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित मध्यकालीन समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 4, 4 डायमिनो स्टिलबेने 2.2 डाइसल्फोनिक एसिड के आयात पर 22 जनवरी, 2019 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, उपांतरित दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 956(अ) जो 5 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 157/1990-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टयूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टयूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(17) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(18) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज), (सातवां संशोधन विनियम, 2016 जो 8 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 11-109/रेग॰/हार्मोनिजेशन/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(20) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(21) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(22) (एक) इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(23) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंफाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंफाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(24) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(25) (एक) नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(26) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(27) (एक) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(28) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2016 जो 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 897(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(30) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ एकोनोमिक्स—दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ एकोनोमिक्स—दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(31) (एक) सेन्टर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(32) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(33) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(34) (एक) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(35) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(36) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निक्षेपागार (न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015 जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015 जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 645(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(41) भारतीय प्रतिस्पर्धा और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(42) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (सभापति और सदस्यों की नियुक्त, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए उपबंध) संशोधन नियम, 2016 जो 5 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 853(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और रिफंड) नियम, 2016 जो 5 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 854(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(43) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1074(अ) जो 17 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2016 जो 17 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 981(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 938(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 939(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 941(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 942(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 943(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 944(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 945(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(46) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 940(अ) जो 3 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अक्तूबर, 2016 को या उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदायों तथा अभिदाता के खाते के शेष रकम पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(48) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(49) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(50) (एक) छावनी बोर्डों के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) छावनी बोर्डों के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(51) बीईएमएल लिमिटेड तथा विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने प्राक्कलन समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग) से संबंधित 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' विषय के बारे में समिति का 20वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'बजट में संरचनात्मक परिवर्तन' विषय के बारे में समिति का 21वां प्रतिवेदन।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सेंटार लेक व्यू होटल श्रीनगर/होटल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआई), दिल्ली में वेतन पुनरीक्षा को लागू किए जाने के बारे में सर्वश्री जावेद पंडित और हरीश से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) सीसीएसओ/सेल, धनबाद में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने के बारे में श्री सौरभ कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(3) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया पेंशन और पूरे वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री घनश्याम बैरवा से प्राप्त तथा श्री ओम बिरला, संसद सदस्य, लोक सभा और श्रीमती मीनाक्षी बोरकर द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में समिति का 22वां प्रतिवेदन।

(4) देवघर, झारखंड में एक नया आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) खोले जाने के बारे में श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रस्तुत सर्वश्री लखन तुरी और महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा की याचिका के बारे में समिति का 23वां प्रतिवेदन।

(5) ठेका श्रमिकों की कार्य दशाओं को शासित करने वाला ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन के बारे में श्री सपन कुमार घोषाल के अभ्यावेदन के बारे में समिति का 24वां प्रतिवेदन।

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री नव कुमार सरनीया ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ कुलमणि सामल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2016-17' के बारे में 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'भेषज क्षेत्र (सीडीपी-पीएस) के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम' विषय पर 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और दीपम विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

11. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

12. प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 8 दिसम्बर, 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. प्रस्ताव

डॉ॰ किरीट सोमैया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए, समिति इस संबंध में निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार करती है कि श्री भगवंत मान, संसद सदस्य ने एक अत्यंत आपत्तिजनक कृत्य कारित किया है जो सभा

के सदस्य के लिए अशोभनीय है और यह कि उन्हें वर्तमान सत्र अर्थात् 16वीं लोक सभा के दसवें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सदस्यता से निलंबित किया जाए।

कि यह सभा संकल्प लेती है कि श्री भगवंत मान, संसद सदस्य को सत्र की शेष अवधि के किए सभा की बैठकों से निलंबित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

अपराह्न 12.10 बजे

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार,* 14 *दिसम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3847LS(S3)—09-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2016/23 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 195

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 381 का मौखिक उत्तर दिया गया। व्यवधान के कारण, शेष तारांकित प्रश्नों को सभा में मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 382—400 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(दो) चूंकि सोमवार, 12 दिसंबर, 2016 के लिए नियत लोक सभा की बैठक रद्द की गई थी, उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 361—380 के उत्तर को भी आतरांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आधार (वित्तीय और अन्य राजसहायताओं, लाभों और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी), अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2016 जो 12 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 680(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य का संव्यवहार) विनियम, 2016 जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधिक/यूआईडीएआई (2016 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का 2) जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधिक/यूआईडीएआई (2016 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधिक/यूआईडीएआई (2016 का संख्यांक 3) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आधार (आंकड़ा सुरक्षा) विनियम, 2016 जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधिक/यूआईडीएआई (2016 का संख्यांक 4) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आधार (सूचना साझा करना) विनियम, 2016 जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधिक/यूआईडीएआई (2016 का संख्यांक 5) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) गांधीनगर और अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड, गांधीनगर के लिए मेट्रो लिंक एक्सप्रेस के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गांधीनगर और अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड, गांधीनगर के लिए मेट्रो लिंक एक्सप्रेस का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) आवास और शहरी विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) मेट्रो रेल (संचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 48 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 3440(अ) जो 11 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिल्ली मेट्रो के कार्यकरण से उद्भूत किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसके शारीरिक रूप से घायल होने या किसी संपत्ति को नुकसान से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर अधिनिर्णय के प्रयोजनार्थ दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए दावा आयुक्त के कार्यकाल के विस्तार के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(चार) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(छह) उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(10) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) हरीश चन्द्रा अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश चन्द्रा अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2016 जो 29 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 747(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर का दक्षता प्रमाण पत्र तथा वैश्विक सामुद्रिक डिस्ट्रेस एवं सुरक्षा प्रणाली के संचालन के लिए लाइसेंस) संशोधन नियम, 2016 जो 8 अक्तूबर, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 जो 16 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1070(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा टीसीआईएल बीना टॉल रोड लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा टीसीआईएल लखनाडोन टॉल रोड लिमिटेड के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आईटीआई लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड बंगलौर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) (एक) भारतीय हज समिति, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय हज समिति, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय हज समिति, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय हज समिति, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2016 जो 24 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1088(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लांट जेनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लांट जेनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) इंस्टीच्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड ससटेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीच्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड ससटेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ऐनीमल बायोटेक्नोलोजी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ऐनीमल बायोटेक्नोलोजी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नेशनल एग्रीफूड बायोटेक्नोलोजी इंस्टीच्यूट, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीफूड बायोटेक्नोलोजी इंस्टीच्यूट, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन वैक्सींस कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सींस कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(46) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) ट्रांसलेसनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीच्यूट, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेसनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीच्यूट, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंस्टीच्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीच्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) बायो टेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बायो टेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन वैक्सींस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(52) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

(54) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार की देयताओं को पूरा करने में विचलन के स्पष्टीकरण वाला विवरण और वित्त वर्ष 2016-2017 की दूसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1)	श्रीमती कमला देवी पटले	18.07.2016 से 02.08.2016
(2)	डॉ॰ बंशीलाल महतो	18.07.2016 से 01.08.2016
(3)	डॉ॰ ए॰ संपत	20.07.2016 से 05.08.2016
(4)	श्री अभिषेक बनर्जी	16.11.2016 से 16.12.2016
(5)	श्री चौधरी उदयनराजे भोंसले	16.11.2016 से 16.12.2016
(6)	श्री चांद नाथ	17.11.2016 से 16.12.2016
(7)	श्री राम किशोर सिंह	11.05.2016, 18.07.2016 से 12.08.2016 और 16.11.2016 से 16.12.2016

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के संबंध में 23वें प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के संबंध में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰के॰ बिजू ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के कार्यकरण के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के

12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(3) हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय के कार्यकरण के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय रेल में रक्षा और सुरक्षा विषय पर 12वां प्रतिवेदन।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 8वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) संबंधी कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान विभाग में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समित के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) से संबंधित समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) से संबंधित समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पांच) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) से संबंधित समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(छह) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(सात) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) से संबंधित समिति के 76वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(आठ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में गृह संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने रवांडा के किगाली में अक्तूबर, 2016 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक में हुए वार्तालाप के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में गृह संबंधी स्थायी समिति के 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 2017 के अंतिम दिन तक बढ़ाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.09 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

अपराह्न 12.20 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र के वसई रेलवे स्टेशन पर रेलवे टर्मिनस की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अजय निषाद द्वारा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक कैंसर रोगियों को समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा गुजरात के बड़ोदरा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री महेश गिरी द्वारा 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में बेघर बच्चों के समुचित पुनर्वास हेतु गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खादी और ग्रामोद्योग की ईकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा श्रमशक्ति एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12451/12452) का विस्तार उत्तर प्रदेश के झांसी तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई में फर्जी कॉल सेंटर मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में खलीलाबाद और देवरिया जिले के गौरी बाजार में रेल ओवर ब्रिज का सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में मूक-बधिर व्यक्तियों के उपचार हेतु अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी लाने हेतु एक नवीन यातायात नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एम॰ के॰ राघवन द्वारा केरल के कोषिककोड में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा देश में रबड़ उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल में जयनगर से कुल्टाली रेल मार्ग परियोजना पर कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बैजयंत जे॰ पांडा द्वारा सीमापार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा देश में रेलवे स्टेशनों पर स्थित फ्रूट/जूस स्टॉलों पर स्नैक्स, डिब्बाबंद पेयजल, शीतल पेय एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री के॰ राम मोहन नायडू द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रेल जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) मोहम्मद पी॰पी॰ फैज़ल द्वारा लक्षद्वीप में स्थित सभी हेलिपैडों पर प्रकाश की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.20 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 15 *दिसम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3902LS(S3)—14-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2016/24 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 196

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौथी लोक सभा के सदस्य श्री एन॰ अन्बुचेजियन; और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री पी॰वी॰ राजेश्वर राव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 402—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601—4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायमूर्ति अशोक कुमार रूपनवाल (सेवानिवृत्त) जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1091(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो भूमिगत कोयला गैसीकरण के प्रयोजनार्थ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में गुजरात में डीपसाइड ताडेकेश्वर और डूंगरा यूसीजी एवं डीपसाइड वालिया तथा राजपरदी यूसीजी के आरक्षण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद, आणंद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(19) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद, आणंद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (खतरनाक वस्तुओं का वहन) संशोधन नियम, 2016 जो 3 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) एयर इंडिया लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

(34) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन गाजियाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन गाजियाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) भारतीय कपास निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016–2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 14 दिसंबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार' के बारे में विद्युत मंत्रालय संबंधी 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का अंतिम विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

(4) रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

(5) आश्वासनों (सहमत) को छोड़ने के अनुरोधों के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(6) आश्वासनों (असहमत) को छोड़ने के अनुरोधों के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(7) विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

9. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री नाना पटोले ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'राईट्स द्वारा परामर्श, अभियंत्रण और परियोजना प्रबंधन सेवाएं, के बारे में 9वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेल में कबाड़ निपटान प्रणाली' के बारे में 10वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

10. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुक्म देव नारायण यादव ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के संबंध में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के 'चारा और भरण विकास के बारे में उप-मिशन के माध्यम से चारे की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदम' के विषय में 34वां प्रतिवेदन।

11. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'भारत में ऊर्जा पहुंच—वर्तमान स्थिति की समीक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका' के संबंध में 22वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2016-17 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में 15वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(3) 'नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन' के संबंध में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(4) 'वाणिज्यिक हानियों' के संबंध में 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

12. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ यशवन्त सिंह ने ग्रामीण विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के संबंध में 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के संबंध में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के संबंध में 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के संबंध में 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

14. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं॰ 97) के संबंध में 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 282वां प्रतिवेदन।

(2) 'सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन' विषय पर 283वां प्रतिवेदन।

15. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 239वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 240वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में 234वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 241वां प्रतिवेदन।

(4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में 235वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 242वां प्रतिवेदन।

16. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रीता तराई ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 93वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 96वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 94वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 97वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 95वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 98वां प्रतिवेदन।

17. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वस्त्र मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने** (एक) 'मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में सर्वश्री संजय हरिभाऊ जाधव, संसद सदस्य और मनसुखभाई धनजीभाई वसावा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं॰ 230 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के 2.8.2016 को दिए गए उत्तर के शुद्धिकरण और (दो) उत्तर के शुद्धिकरण में विलम्ब के कारण देने के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

(6) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—

(एक) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित भारत में विमानपत्तनों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 238वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.10 बजे

18. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016

अपराह्न 12.11 बजे

19. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण पर चर्चा के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
2. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
3. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

*श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा 1975 से 1977 के बीच आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तार किए गए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को मौद्रिक और अन्य लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ (श्रीमती) भारतीबेन डी॰ श्याल द्वारा गुजरात के भावनगर जिले में वेलवदर काला हिरण अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित अधिसूचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मानशंकर निनामा द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर विभिन्न महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा ग्रेटर मुम्बई में झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास को सुकर बनाने हेतु तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*संसदीय कार्य मंत्री

(6) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखण्ड के देवघर में एक आयुध कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हुकुम सिंह द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां दिए जाने संबंधी नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्ध को रोकने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा मैंगलोर से मदुरै के बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के उचित पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली मेट्रो का विस्तार उत्तरी दिल्ली में कुतुबगढ़ तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री संजय काका पाटील द्वारा देश में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुकर बनाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा गुजरात के नाडियाड में नये एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक के हरोहल्ली में एक एम्स जैसे संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) कुमारी सुष्मिता देव द्वारा असम में कछार पेपर मिल और नागांव पेपर मिल का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग बनाए जाने और कोवलांडे रेलवे स्टेशन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के पन्दुआ रेलवे स्टेशन पर एक समपार तथा एक आरक्षण केन्द्र का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा उड़ीसा में नये वन के सृजन और वृक्षारोपण क्षेत्रों के रख-रखाव के लिए 2016-17 के वार्षिक कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत शेष निधियों को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश के मंगलगिरि में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी पर रेल पुल के जरिए विभिन्न ट्रेनों को चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सतलज-यमुना लिंक नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।

(25) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में मय्यानद रेलवे स्टेशन पर रेल उपरि पुल/अंडर पास/फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.20 बजे

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार,* 16 *दिसम्बर,* 2016 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3935LS(S3)—15-12-2016.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2016/25 अग्रहायण, 1938 (शक)

संख्या 197

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 422—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) लेखा वर्ष 2015-2016 की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर उसमें उल्लिखित 24 संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(6) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) बिल्डिंग मैटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 976(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1632(अ) जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन भारत में कहीं भी स्थित केन्द्रीय सरकार या रेल प्रशासन या महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र के नियंत्रण के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण के कृत्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 10 अगस्त, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2676(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में)।

(12) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1115(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) लेखा वर्ष 2015-2016 की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर।

(तीन) नेशनल अकेदमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली।

(चार) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई।

(पांच) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली।

(छह) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे।

(सात) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता।

(आठ) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली।

(नौ) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली।

(दस) इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा।

(ग्यारह) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई।

(बारह) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बेंगलुरू।

(17) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा गेल गैस लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक

गैस वितरण नेटवर्क के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2016 जो 24 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एम(1)टी4एस/सीजीडी/1/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) साहा इंस्टीट्यूट, ऑफ न्यूकिलयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट, ऑफ न्यूकिलयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) (एक) टोबैको बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टोबैको बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) कैशयू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैशयू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) स्पाईसेज बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्पाईसेज बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्पाईसेज बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एसटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयूएस एंड एसईजैडएस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयूएस एंड एसईजैडएस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) काफी बोर्ड, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काफी बोर्ड, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) काफी बोर्ड, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फारमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फारमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1094(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(53) (एक) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) जी॰बी॰ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी॰बी॰ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर औरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर औरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का॰आ॰ 2413(अ), जो 4 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में दादरा और नगर हवेली वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है।

(दो) का॰आ॰ 607(अ), जो 24 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में डॉ॰ सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है।

(तीन) का॰आ॰ 608(अ), जो 24 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में कोटिगाओ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 555(अ), जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में नेत्रवली वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(पाँच) का॰आ॰ 616(अ), जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में मडेई वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(छह) का॰आ॰ 221(अ), जो 23 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(सात) का॰आ॰ 615(अ), जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(आठ) का॰आ॰ 230(अ), जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में करनाला वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(नौ) का॰आ॰ 612(अ), जो 26 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(दस) का॰आ॰ 1736(अ), जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट लेक पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 191(अ), जो 27 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर नेशनल पार्क के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(बारह) का॰आ॰ 680(अ), जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 2364(अ), जो 4 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में बांदीपुर नेशनल पार्क और व्याघ्र अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 1601(अ), जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में भीतरकनिका नेशनल पार्क और

वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1659(अ), जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में कपिलाश वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(सोलह) का॰आ॰ 2166(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में कंचनचंगा नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 2167(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में कीटम पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(अठारह) का॰आ॰ 2168(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में क्योंगनोसला एल्पाइन वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2169(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में सिंगा रोडोग्नेड्रोन वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(बीस) का॰आ॰ 2170(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में मईनाम वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2171(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में फैमबोगिहो वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(बाईस) का॰आ॰ 2172(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में बारसे रोडोग्नेड्रोन वन्यजीव

अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(तेईस) का॰आ॰ 2173(अ), जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में पंगगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2262(अ), जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 3549(अ), जो 30 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1055(अ), जो 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में वीर मोतीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।

(60) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(63) रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग, कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन:—

(एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा

(दो) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

(तीन) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग

(चार) उत्कल ग्रामीण बैंक, बलांगीर

(65) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति बिन्दु) (पहला संशोधन) विनियम, 2016, जो 21 नवम्बर, 2016 के भारत के रापजत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भांडागारण वस्तुएं (हटाया जाना) विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भांडागारण वस्तुएं (कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स) विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विशेष भांडागारण वस्तुएं (कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स) विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 516(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पब्लिक भांडागारण लाइसेंसिंग विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 517(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) प्राइवेट भांडागारण लाइसेंसिंग विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 518(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विशेष भांडागारण लाइसेंसिंग विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 519(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(67) (एक) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(79) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(80) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डैनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो डैनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(81) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(82) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(83) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(84) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(85) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(86) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल आफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(87) (एक) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(88) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स) मुंबई के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स मेजरिंग), इंस्ट्रूमेंट्स) मुंबई के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(89) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर) नैनीताल के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर) नैनीताल के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(90) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फैगरेंस एंड फलेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फैगरेंस एंड फलेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(91) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(92) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(93) (एक) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट),चेन्नई के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई–टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट),चेन्नई के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(94) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(95) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(97) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2556 (अ), जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए विजयवाड़ा-सह-मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा स्थित अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, कृष्णा के न्यायालय दो में 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2681(अ) जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त श्री कोमुओ लोसो की नियुक्ति जारी नहीं रखने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2682(अ) जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त श्री जी॰एस॰ चटर्जी की नियुक्ति जारी नहीं रखने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2683(अ) जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और श्री सुधांशु कुमार लाल की नियुक्ति जारी नहीं रखने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 3384(अ) जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विभिन्न राज्यों में मुकदमों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 3442(अ) जो 11 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए बम विस्फोट मुकदमों, चेन्नई के विशेष विचारण के लिए सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3443(अ) जो 11 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3444(अ) जो 11 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(99) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2684(अ) जो 11 अगत, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रयोजनार्थ अभिहित प्राधिकारी के रूप में गृह मंत्रालय में सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव (आईएस-आई) को विनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एम॰पी॰ स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम॰पी॰ स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2014-15 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 और 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 और 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(103) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गुजरात स्टेट सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(104) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर पद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) (एक) नेशनल कोओपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(107) (एक) नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रेडिंग एंड मार्किंग (अमेंडमेंट) रूल्स, 2016, जो अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1059(अ) जो 10 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, प्रकाशित की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, (इम्पलॉइज प्रोविडेंड फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) (एक) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गैंगटोक के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गैंगटोक के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुम्बई के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुम्बई के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) उपर्युक्त (117) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स सिविल स्टॉफ समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 जो 27 अगस्त, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 174 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(122) उपर्युक्त (121) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणन्द के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणन्द के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिसर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिसर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइसेंज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइसेंज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइसेंज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) बायो-टेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायो-टेक्नोलॉजी विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) सेवा शर्तें एवं अनुशासनिक कार्यवाही विनियम, 2016 जो 24 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-10/178/2012-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एनईपीए लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एनईपीए लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूड्स (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रूड्स (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(129) (एक) नेशनल आटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल आटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(130) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रिचर्डसन एंड क्रूड्स (1972) लिमिटेड, और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) सांभर साल्ट्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) नेपा लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) हैवी इंजिनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(131) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2016 का संख्यांक 31)—(निष्पादन लेखा परीक्षा) दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय में भू-प्रबंधन।

(दो) मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2016 का संख्यांक 32) — रेल।

(तीन) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2016 का संख्यांक 33) — (निष्पादन लेखा परीक्षा) प्रक्षेपण सेवा प्रबंध, अंतरिक्ष विभाग।

(चार) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2016 का संख्यांक 34) — वर्ष 2015-2016 के लिए संघ सरकार (वित्तीय लेखा परीक्षा) के लेखे।

(132) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए संघ सरकार — वित्त लेखा

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए संघ सरकार — विनियोग लेखा (सिविल)

(तीन) वर्ष 2015-2016 के लिए संघ सरकार — रक्षा सेवाओं की विनियोग लेखा

(चार) वर्ष 2015-2016 के लिए संघ सरकार — डाक सेवाओं के विनियोग लेखे

(133) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 831 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिवाला और शोधन अक्षमता (न्याय निर्णयन प्राधिकारी के लिए प्रयोज्य) नियम, 2016 जो 30 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1108 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला ओर शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उपनियम और शासी बोर्ड) विनियम, 2016 जो 22 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग॰ 001 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण) विनियम, 2016 जो 22 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग॰ 002 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 जो 23 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग॰ 003 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 30 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग॰ 004 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(134) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 01/02/2014-सीएलवी जिसके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 463(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 01/01/2014-सीएलवी जिसके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 464(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 01/02/2014-सीएल-1जिसके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 466(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(135) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(136) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, राउरकेला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, राउरकेला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(137) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(138) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(139) उपर्युक्त (138) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(140) (एक) नेशनल काउंसिल फौर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(142) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(143) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कालागुर्गी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कालागुर्गी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(144) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कालीकट के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कालीकट के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(145) उपर्युक्त (144) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(146) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(147) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(148) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(149) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(150) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(151) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(152) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(153) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुए समझौते ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(154) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(155) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(156) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(157) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(158) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(159) (एक) डॉ॰ हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ॰ हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) डॉ॰ हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(160) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(161) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(162) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भठिंडा के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भठिंडा के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(163) (एक) तेजपुर यूनिवार्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर यूनिवार्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(164) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(165) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(166) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(167) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(168) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, कांचीपुरम की पहली संविधि जो 2 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3640(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण, जबलपुर की पहली संविधि जो 2 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3641(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, ग्वालियर की पहली संविधि जो 2 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3639(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद जो 2 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3642(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) का॰आ॰ 4000(अ) जो 9 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अटल बिहारी वाजपेयी—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 4001(अ) जो 9 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन ओर विनिर्माण, कांचीपुरम के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 4002(अ) जो 9 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण, जबलपुर के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 4005(अ) जो 13 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(169) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के मध्य अकादमिक सहयोग के मानक का संवर्धन और अनुरक्षण) विनियम, 2016 जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 1-1/2012 (सीपीपी-दो) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(170) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ 163 जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् की गणपूर्ति और संरचना से संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि सं॰ 11, 12, 13 और 14 में संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं॰ 42 जो 24 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, राजस्थान से संबंधित कार्यकारी परिषद् की गणपूर्ति और गठन, अकादमिक परिषद् की गणपूर्ति और गठन, विभागों का ब्यौरा विभागाध्यक्षों की नियुक्ति, योजना और निगरानी बोर्ड का गठन, स्कूल बोर्ड को क्रमश: यूनिवर्सिटी के प्राधिकरण, विद्यार्थी कल्याण और मरुस्थल अध्ययन की स्थापना को शामिल किए जाने संबंधी ब्यौरा से संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि सं॰ 11, 13, 15 (6) में संशोधन और नई संविधि 40, 41, 42, 43 और 44 का निर्माण किया गया है।

(तीन) अधिसूचना सं॰ 275 जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा क्रमश: कार्यकारी परिषद् के गठन और गणपूर्ति तथा अकादमिक परिषद् के गठन और गणपूर्ति से संबंधित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के संविधि सं॰ 11 और 13 में संशोधन किया गया है।

(171) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 2016 जो 17 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिनियम सं॰ सा॰का॰नि॰ 1076(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(172) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (यौन चेतना, महिला कर्मियों तथा विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न का निवारण और प्रतिषेध और तकनीकी शिक्षण

संस्थाओं में शिकायत निवारण) विनियम, 2016 जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूना सं॰ एफ॰ एआईसीटीई/डब्ल्यूएच/2016/01 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय कोर्स और कौशल ज्ञान प्रदाता) (पहला संशोधन), विनियम, 2014 जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 7-6/डीडी-एडमिन/एनएसक्यूएफ/2013-दो में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 2-2/डी-एनएसक्यूएफ/यू॰एसइंफ्रॉ/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (पाठयक्रम का नामकरण और तकनीकी संस्थाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश) विनियम, 2016 जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ पीएंडएपी/मैम/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षक तथा अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए योग्यता, वेतनमान, सेवा शर्तें, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम(सीएएस) आदि से संबंधित कतिपय मुद्दे/विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण, 2016 (पहला संशोधन) 2016 जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 27/रिफ्ड/पैस्केल/01/2013-14 में प्रकाशित हुआ था।

(छह) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी सस्थाओं के लिए अनुमोदन दिया जाना) विनियम, 2016 जो 30 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ एबी/एआईसीटीई/रेग॰/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(173) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरूवरूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरूवरूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(174) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वाषिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 का वाषिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2015-2016 का वाषिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2015-2016 का वाषिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ का वर्ष 2015-2016 का वाषिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(175) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(176) उपर्युक्त (175) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(177) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(178) उपर्युक्त (177) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(179) (एक) नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(180) निम्नलिखित केन्द्रों में से प्रत्येक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे —

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान) बेंगलुरू।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र) चंडीगढ़।

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आर्थिक वृद्धि संस्थान) दिल्ली।

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान) धारवाड़।

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सांख्यिकी विभाग, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी) गुवाहाटी।

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान) डिंडीगुल।

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) लखनऊ।

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय) पटना।

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान) पुणे।

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सामान्य और अनुपयुक्त भूगोल विभाग, डॉ॰ हरीसिंह गौड़ सेंट्रल युनिवर्सिटी) सागर।

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय) तिरूवनंतपुरम।

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय) उदयपुर।

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आंध्र विश्वविद्यालय) विशाखापट्टनम।

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पंजाब विश्वविद्यालय) चंडीगढ़।

(181) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 871 (अ) जो 8 सितंबर, 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीनी उत्पादक पर स्टाक धारिता सीमा अध्यारोपित किए जाने के बारे में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 932 (अ) जो 30 सितंबर, 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 2015-2016 के लिए गन्ना का कारखाना-वार एफआरपी के बारे में है।

(तीन) गन्ना (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2016 जो 30 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3093 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का॰आ॰ 3348 (अ) जो 28 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो चीनी पर स्टाक धारिता सीमा और कारबार सीमा के अध्यारोपण की अवधि बढ़ाए जाने के बारे में है।

(182) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3577 (अ) जो 29 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3 रु॰, 2 रु॰ और 1 रु॰ प्रति किग्रा॰ राजसहायता प्राप्त मूल्य निर्धारित किए जाने के बारे में है।

(183) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(184) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी)' संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) 'हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री निशिकांत दुबे ने लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 2015 केसी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 14 पर आधारित 'भारतीय रेल में लौह अयस्क यातायात के परिवहन हेतु द्वैध भाड़ा नीति की निष्पादन लेखा परीक्षा' विषय पर 60वां प्रतिवेदन।

(2) 'विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(3) 2015 केसी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 43 पर आधारित 'रत्न और आर-सीरीज हाइड्रोकार्बन फिल्ड्स' विषय पर 62वां प्रतिवेदन।

(4) 2014 केसी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 29 पर आधारित 'केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर में अभियोजन और शास्तियों का प्रशासन' विषय पर 63वां प्रतिवेदन।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ करिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'विभिन्न संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित के रक्षोपाय के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन और संपर्क अधिकारियों का कार्यकरण' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री रत्न लाल कटारिया ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान आयोजित 26वीं से 28वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ करुणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 8 दिसम्बर, 2016 को आयोजित छठी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने 'स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2016-17) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के संबंध में अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(3) इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) के संबंध में अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) के 'राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति वित्त और विकास निगम के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन 16वीं लोक सभा में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

12. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के भारत में निर्यात अवसंरचना के बारे में समिति के 123वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 131वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कोथापल्ली गीता ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2016-2017 (मांग संख्या 51) के बारे में 280वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 285वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) पर समिति के प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 292वां प्रतिवेदन।

(2) 'वन आग और पर्यावरण, वन' जैव विविधता एवं वन्य जीव पद इसके प्रभाव तथा सुधारात्मक/निवारणात्मक उपाय के बारे में 293वां प्रतिवदेन।

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर और वैक्सीन लेबोरेटरी (बीसीजीवीएल), चेन्नई नामक तीन वैक्सीन उत्पादक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मुद्दों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 38वें, 43वें और 52वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित 'व्यवसाय करने की आसानी' पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 122वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग संख्या 12) पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति।

@16. **सरकारी विधेयक** — वापिस लिया गया

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

17. **सरकारी विधेयक** — पुर:स्थापित किए गए

(एक) *वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक,* 2016

(दो) *महापत्तन प्राधिकरण विधेयक,* 2016

अपराह्न 12.17 बजे

18. **सरकारी विधेयक** —पारित

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 1 घंटा 54 मिनट

श्री थावर चन्द गहलोत द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
2. डॉ॰ मनोज राजोरिया
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री मुलायम सिंह यादव
7. श्री रविन्द्र बाबू पांडुला

@यह विधेयक 10 अगस्त, 2015 को पुर:स्थापित किया गया था और जांच एवं प्रतिवेदन हेतु परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति का प्रतिवेदन 1 दिसम्बर, 2015 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। विधेयक को वापस लिये जाने के कारणों संबंधी विवरण सदस्यों को 10 दिसम्बर, 2016 (प्रात:) को परिचालित किया गया है।

8. श्रीमती कविता कलवकुंतला

9. मोहम्मद सलीम

10. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

11. श्री कौशलेन्द्र कुमार

12. श्री दुष्यंत चौटाला

13. श्री राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव

श्री थावर चन्द गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ किया गया।

खण्ड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 7 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 और 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16 से 18 स्वीकृत हुए।

खण्ड 19 से 23 स्वीकृत हुए।

खण्ड 24 से 29 स्वीकृत हुए।

खण्ड 30 और 31 स्वीकृत हुए।

खण्ड 32 और 33 स्वीकृत हुए।

श्रीमती के॰ कविता द्वारा खण्ड 34 के संशोधन के संबंध में पेश किए गए संशोधन संख्या 6 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: पक्ष में 43, विपक्ष में 121, भाग नहीं लिया 1। तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35 और 36 स्वीकृत हुए।

खण्ड 37 से 40 स्वीकृत हुए।

खण्ड 41 और 42 स्वीकृत हुए।

खण्ड 43 से 51 स्वीकृत हुए।

खण्ड 52 से 59 स्वीकृत हुए।

खण्ड 60 से 64 स्वीकृत हुए।

खण्ड 65 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 66 से 70 स्वीकृत हुए।

खण्ड 71 और 72 स्वीकृत हुए।

खण्ड 73 से 77 स्वीकृत हुए।

खण्ड 78 से 102 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावर चन्द गहलोत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 14.11 बजे

19. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 14.16 बजे

20. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 14.17 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 14.17 *बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—3960LS(S3)—16-12-2016.